

**THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION)  
AMENDMENT BILL, 2002**

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

*777e question was put and the motion was adopted*

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA : Sir, I introduce the Bill.

**THE PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL, 2002**

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Payment of Bonus Act, 1965.

*77?© question was put and the motion was adopted*

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA : Sir, I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Prabhakar Reddy to introduce three Bills, but not present.

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2001 (to amend the  
Eighth Schedule)**

DR. KARAN SINGH XNCT of Delhi): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.

Mr. Chairman, Sir, I am happy that after four postponements, at least, the fifth time, this Bill has been listed in the 'List of Business' and I have an opportunity to present my views. Are you taking cognizance? ...*(Interruptions)*.. All right. Sir, language is a fundamental and irreplaceable vehicle of speech, articulation and communication for the human race. It is the development of language that has made human civilisation possible over the millennia. One of India's glories is its pluralism in religion, in dress, in cuisine, in architecture and in language. There is no other country in the world, Sir, which can boast of creative literature in 30 different languages. It would mean the whole of Europe, from Norway to Greece and from Poland to Portugal, may not be able to produce 30 languages. But India with its glory of linguistic traditions, going back from Sanskrit from the very dawn of

history to Tamil and all the other great languages, produces remarkable literature... (*Interruptions*)...

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (सुश्री उमा भारती सर, मुझे माननीय सदस्य से एक निवेदन करना है कि आप डोगरी भाषा के लिए बिल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, साथ ही आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं तो फ़िर आप हिंदी में बोलिए न। डोगरी भाषा को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप अंग्रेजी का सहारा क्यों ले रहे हैं?

**डा. कर्ण सिंह:** मैं बीच में हिंदी में बोलूँगा। .....(व्यावधान) .....

DR. KARAN SINGH: Let me make my point. Not only are we proud of our own languages, we share them with our neighbours. We share Urdu with Pakistan, we share Nepali with Nepal, we share Bengali with Bangladesh and we share Tamil with Sri Lanka. So, India is a unique linguistic entity. We share English with the rest of the world. That is why our Constitution recognises many languages. Sir, in the VIII Schedule of the Constitution, we began with 14 languages. Then Sindhi was added way back in 1964. Then in the last Constitution Amendment Bill, Konkani, Manipuri and Nepali were added, हमारी ससुराल की भाषा तो आ गयी, लेकिन हमारी मातृभाषा नहीं आई। Each one of these languages reflects a special facet of our multisplendoured cultural heritage. As the Chairman of the Jnanpeeth Selection Committee, I had occasions to interact with all the great languages of India. I have been succeeded in that by my esteemed friend, Dr. L. M. Singhvi, whose Bill in fact, is closely following mine. We have people here Dr. C. Narayana Reddy, Dr. K. S. Duggal and other great litterateurs in this House. The other day I mentioned that Rashtrakavi Ramdhari Singh 'Dinkar' was a Member of this House. Gangababu and many other great figures in various languages, South Indian languages, and North Indian languages, have been Members of this House. Each language group is proud of its language. Sir, the Dogra community, as you are well aware, has made an outstanding contribution to this nation. First and foremost, the formation of the composite State of Jammu and Kashmir, stretching from the foothills of Punjab all the way up into the heart of the Central Asia, including Gilgit, Balkistan, Ladakh, Mirpur, Muzaffarabad, all the Jammu Hill State and the Kashmir Valley, the creation of this composite State of Jammu and Kashmir in the middle of the 19<sup>th</sup> century was a great contribution by the Dogras to national unity and national integrity. Sir, today we are proud to say that Kashmir is part of India. But it should be remembered that it is largely because of the creation of the State of Jammu and Kashmir, that these areas today have become part of India, whether it is Ladakh, whether it is those areas which are not directly under our control.

And this was done by Maharaja Gulab Singh, by General Zorawar Singh, by General Baaj Singh, by Mehta Basti Ram-great names - whose role in history will always be remembered. Sir, in the defence of this country, the Dogras have played an extremely valuable and valiant role, whether it is in the old Jammu Kashmir State Forces or the Jammu and Kashmir Regiment or the Jammu and Kashmir Light Infantry or the Dogra Regiments or the other formations of the Indian Army, the Navy and the Air Force, you will find lakhs of Dogras over the last 50 years have been there as a shield to take the first brunt of the invasion of our country.

Because it is invariably Jammu and Kashmir where the first brunt of aggression takes place and they have covered themselves with glory. I do not have to go into the history. Even in the Kargil war, the Dogra Regiment did outstanding work. Not only in the field of Defence Forces but also in the field of art. For example, the schools of pahadi art, whether they are in Poonch or Jammu or Basoli or Gulair or Kangra, wherever you go in the world, Sir, you will see pahadi art and the Dogran artists there. And, in the course of the small Dogra princes, at that time, some of the great works of world art were produced. And, even today, there is this tradition and these paintings are very widely praised and are of great value.

Sir, Dogra land has produced great musicians. Ustad Allah Rakha Khan was a Dogri; and Zakir Hussain is a Dogri. Let me clarify, Dogra is a geographical entity. There are Dogran Hindus of all castes. There are Dogran Muslims and Sikhs. For example, Ustad Allah Rakha Khan, Zakir Hussain, Pandit Shiv Kumar Sharma; in the film world, Ramanand Sagar and Ved Rahi, in every field, the Dogras have done extraordinarily well. It is, therefore, a glaring omission that in the Eighth Schedule, a language spoken by about one crore people in Jammu and Kashmir, in Himachal Pradesh and in, at least, two of the districts of Punjab -- Gurdaspur and Hoshiarpur — which are bordering on Jammu and Kashmir, where the Dogra Regimental Centre's recruitment takes place, Dogri is spoken, has not been included.

It has a strong literary tradition. An impressive history. A corpus of published work -- poetry, drama, prose, novels, translation of classics. And, Sir, it has been recognised as a modern Indian language by the Sahitya Akademi, way back in 1969 under the Chairmanship of Dr. Suniti Kumar Chatterjee. Since then, the Sahitya Akademi has awarded over thirty writers and various awards, including Padma Awards to writers, to litterateurs and to poets. There is a strong literary movement. There are

Dogri literary bodies which are functioning. The Dogri Sanstha, the Dogra Mandal, the Dogra Manch, the Dogra Sabha and so on. Radio and television news are also now coming in Dogri. Dogras are a linguistic minority in the State of Jammu and Kashmir. Therefore, there is a directive in our Constitution that there should be an adequate provision and facilities for linguistic minorities. Sir, Dogri is taught at school and university level in the Jammu region. It is recognised under Jammu and Kashmir Constitution, as one of the languages. As you know, in Jammu and Kashmir, the regional language is Urdu but the mothertongues are Kashmiri, Dogri, • Punjabi, Ghojri, Ladakhi and so on. In the past we have received several assurances from the Government. The Dogri Sangharsh Morcha delegation met with the hon. Prime Minister, some months ago and also gave him a memorandum in this respect. The Jammu and Kashmir Government strongly supports the inclusion of Dogri in the Eighth Schedule of the Constitution. All parties, whether it is the National Conference or the BJP or the Congress, in Jammu and Kashmir, are unanimous in their support that Dogri should be included in the Eighth Schedule of the Indian Constitution. So, what is the problem? हिंदी भाषी हमारे जो मित्र हैं, उनसे मैं विशेषकर दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने हिन्दी का प्रचार देश - विदेश में किया है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन जब हुआ, उमा जी, सन 1976 में, भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े बड़े दिग्गज थे-फादर कामिल बुल्के थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। गंगा बाबू थे, भवानी बाबू थे, बड़े बड़े दिग्गज थे और उस समय हमारे परम मित्र बालकपि बैरागी जी भी हमारे साथ थे।

और पहली बार, सभापति जी, अंतरिक्ष में हमने हिंदी का प्रचार किया। आप पूछेंगे कैसे? हम एयर इंडिया के जहाज में चल रहे थे, तो विचार आया कि इतने कवि इकट्ठे हुए हैं, बजाए इसके किएवल बैठे रहें क्यों नहीं अंतरिक्ष में कवि सम्मेलन किया जाए। तो जहां से एयर होस्टेस बोलती हैं, हमने अनुरोध किया कि हर कवि वहां जाकर अपनी कविता का पाठ करे। मुझे लगता है पहली बार 30,000 फुट की बुलंदी पर एक कवि – सम्मेलन हुआ। तो हिंदी का प्रचार – प्रसार करने में हम लोग अग्रसर रहे हैं। हिंदी वालों को कोई डर नहीं होना चाहिए कि डोगरी भाषा के 8वें शैड्यूल में आने से हिंदी भाषा को कोई हानि होगी। हिंदी तो राष्ट्र भाषा है, बड़ी विस्तृत भाषा है और मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषियों को तो डोगरों को प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि हिंदी का क्या होगा? हिंदी तो बढ़ती चली जा रही है, करोड़ों व्यक्ति देश में बोलते हैं। इस देश में डोगरों की अपनी एक संस्कृति है, अपना इतिहास है, उनकी अपनी उमंगें हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि डोगरा कम्युनिटी की इस प्रकार से अवहेलना करना डोगरा लोगों के साथ एक अन्याय है।

सभापति जी, बड़ी कठिनाई के बाद यह बिल आया है, चार बार से हर शुक्रवार को कोई न कोई ऐसी ग्रह – दशा आती थी कि या तो हाऊस उठ जाता था या कोई और घटना हो

जाती थी। जिसके कारण यह बिल आ गया, मैं इसमें और विस्तार से बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि आजादी के 50 साल के बाद किसी भाषा का हक बनता है की वह 8वें शैड्यूल में आए तो वह डोगरी भाषा का हक बनता है। मैं सरकार से इस बारे में एक पुरा आश्वासन चाहता हूं कि वे इसी वर्ष शीघ्रातिशीघ्र एक संविधान – संशोधन बिल लाएंगे और डोगरी भाषा को 8वें शैड्यूल में शामिल करेंगे। मैं सदन के समस्त साथियों से, चाहे उनकी मातृभाषा कोई भी हो, विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे वे अपने डोगरा भाइयों को न भूलें जो आज से नहीं सदियों से उत्तर में बैठकर इस देश की ढाल बने हुए हैं। डोगरा और पंजाबी, दो कम्युनिटीऐसी हैं जो भारत माता की ढाल बनी हुई है क्योंकि यहीं से हमेशा आक्रमण होता है। इतना बलिदान देने के बाद भी डोगरा कम्युनिटी की डोगरी भाषा के साथ अन्याय होना बड़ा गलत है। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरा बिल सर्वसम्मति से पास होगा और इस बारे में सरकार शीघ्रातिशीघ्र एक संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी। धन्यवाद।

*The question was proposed.*

MR. CHAIRMAN: Now, the Bill is open for discussion.  
Shri Moolchand Meena.

**श्री मूल चन्द्र मीणा:** सभापति जी, इस सदन के सदस्य डा. कर्ण सिंह जी ने डोगरा भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए जो बिल पेश किया है, इस बिल का मैं तहेंदिल से समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। हमारे देश के गांवों में कहावत है कि 'हमारे देश में सौ – सौ कोस पर भाषा बदलती है' क्योंकि इस देश में अनेक भाषाएँ हैं। आजादी के समय संविधान सभा का गठन किया गया था और 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, उसके बाद एक – एक करके कई भाषाओं को मान्यता देते हुए आज उनकी संख्या 18 हो गई है। इसलिए डोगरी भाषा हो, राजस्थानी भाषा हो या ब्रज भाषा हो, आज आवश्यकता इस बात की है जिन भाषाओं का साहित्य है, जिन भाषाओं ने हमेशा सांस्कृतिक और भाषायी योगदान दिया है, जिनका देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में योगदान रहा है, जिनके कई उपन्यास एवम कहानियां रही हैं और जिन्होने समाज और देश के लिए योगदान दिया है, उन्हे संविधान के 8वें शैड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। जब हम डोगरी भाषा की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां की राज्य सरकार ने तो उसको मान्यता दे रखी है, वहां वह स्कूल – कालेजों में पढ़ाई जाती है फिर उसको राजभाषा मानने में क्या दिक्कत है? जमू – कश्मीर में तो राज्य सरकार ने इसे मान्यता दे रखी है लेकिन दूसरे प्रान्तों में इसको मान्यता नहीं है, इसलिए आवश्यकता महसूस हुई कि इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए जिससे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दूसरे प्रान्तों के लोग भी इसका उपयोग कर सकें। इसलिए डा. कर्णसिंह जी को आवश्यकता हुई कि वे इस बिल यहां लाएं। महोदय, इस भाषा और इसके साहित्य का शिक्षण और अनुसंधान अनेक विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। साहित्य अकादमी ने डोगरी साहित्य के कई लेखकों को पुरास्कृत भी किया है यदि इस भाषा को मानता दी जाती हैं तो करोड़ों लोगों को महसूस होगा कि हम भारत जैसे देश के अंदर रहते हैं जिसने हमारी भाषा को भी महत्व दिया है। इससे लोगों प्रसन्नता होगी। महोदय, डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से कई बार अनेक प्रतिनिधिमंडल मिल चुके हैं। चाहे वे किसी भी दल के प्रतिनिधिमंडल रहे हो वाहे वे नेशनल कान्फ्रेस के हों, चाहे वे कांग्रेस के हों, चाहे वे कांग्रेस के हों, चाहे वे बी.जी.पी. के हों, सभी प्रतिनिधिमंडलों ने इसकी वकालत की है।

सभापति महोदय, डोगरी भाषा का अपना महत्व रहा है। सीमा पर हमारे जो प्रांत हैं, डोगरी भाषी लोगों ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। मैं मानता हूं कि यदि इस भाषा को मान्यता दी जाती है तो इसका कोई विरोध नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जिन भाषाओं को मान्यता देने की मांग काफ़ी समय से चल रही है, उन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाये, उन्हें मान्यता दे दी जाए। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

**श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश):** सभापति महोदय, मैं डा. कर्ण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत इस प्राइवेट मैंबर बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संयोग से मैं हिमाचल प्रदेश के उस भाग से संबंधित हूं जिसमें इस भाषा का प्रभाव है। अगर यह भाषा किसी राज्य की सीमा में बंधकर रह जाती तो शायद डा. कर्ण सिंह जी को आज राज्यसभा में यह बिल न लाना पड़ता। लेकिन पिछली कई सदियों से इस भाषा का प्रचार इस प्रकार हुआ कि इसे न तो रियासत की और न ही राज्यों की सीमाएं बाध पाई। यह भाषा जम्मू-कश्मीर से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर और पंजाब के गुरदासपुर और हाथियारपुर जिलों तक पहुंच गई। इसी आधार पर जब भारतीय सेना में डोगरा रेजीमेंट की भर्ती होती है तो वह केवल जम्मू के लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि वह पूरा इलाका जिसका मैने अभी जिक्र किया है, सभी धर्मों और जातियों के लोग जो इस भाषा को बोलते हैं, उनको डोगरा रेजीमेंट में भर्ती किया जाता है। डोगरों का ऐसा इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा ही हिंदुस्तान की सरहदों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनको चाहौं भारत की किसी भी सरहद पर तैनात किया गया, चाहौं किसी लड़ाई में भेजा गया, उन्होंने अपने शौर्य और बहादुरी के झड़े हिंदुस्तान की हर सरहद पर फ़हराए हैं। मैं यह मानता हूं कि जिस प्रकार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं को समिलित किया जा चुका है, उसी प्रकार डोगरी भाषा को भी शामिल किया जाना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल न किया जाए। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कास्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाए और संविधान में संशोधन करके डोगरी भाषा को 8 वीं अनुसूची में शामिल करें।

**श्रीमति सरला माहेश्वरी (पश्चिम बंगाल):** सभापति महोदय, अस्मिता का प्रश्न आज के युग में एक केन्द्रीय मानवीय प्रश्न है। जिस काल में वैश्वीकरण के झंझावातों से मानव जीवन की तमाम वैविध्यमय विशिष्टताओं को एक सा बनाने का तांडव चल रहा हो, उस समय छोटी – छोटी अस्मिताओं की रक्षा की यह लड़ाई धनघोर अंधेरे में दिए की लौ की तरह टिमटिमाती हुई हमे आशान्वित करती है और एक नयी आशा देती है।

एक नई आशा देती है। सभापति महोदय, भाषाई राजनीति और अस्मिता की राजनीति, Politics of identity के तमाम प्रतिक्रियाकारी रूपों के प्रति पूरी तरह सर्तक रहते हुए आज जब हमारे माननीय कर्ण सिंह जी, सदन में डोगरी की तरह की खूबसूरत भाषा को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं समझती हूं कि हमारे भारत के वैविध्यम रूप की रक्षा करने के लिए यह एक लड़ाई का हिस्सा है। सभापति महोदय, आज हमारे देश में जिस प्रकार की राजनीति चलाई जा रही है वह राजनीति तथाकथित विकास के नाम पर तो नए राज्यों के निर्माण का स्वागत करती है लेकिन भाषायी आधार पर सांस्कृतिक वैविध्य के आधार पर निर्मित भारत के भाषायी राज्यों को स्वीकार करने से इंकार करती है। हिंदुत्व की राजनीति भाषायी आधार पर राज्यों के गठन का हमेशा से विरोध करती रही है और इस बात से

इंकार करती रही है कि भारतीय राष्ट्र कई जातीय समूहों का एक स्वेच्छिक संघ है। यह हिंदुत्व की राजनीति साम्राज्यवादियों की वैश्वीकरण की मुहीम का एक क्षेत्रीय संस्करण है जो भाषा, धर्म और संस्कृति के मामले में भारत की विविधता से इंकार करती है। ऐसे समय में डोगरी जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लगभग एक करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है और जिसके साहित्य की एक लंबी और समृद्ध परम्परा रही है, उस डोगरी भाषा को संरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं। जहां तक इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने का सवाल है, इसके तमाम पहलुओं पर भी गहराई से विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, भारत में इस प्रकार के छोटे – छोटे जातीय समूहों की भाषा को संरक्षण देकर उन्हे विकसित करने की मांग का हमेशा से वामपथी आदोलन समर्थन करता आया है। लंबी लड़ाई के बाद ही हम पश्चिम बंगाल के अपने पर्वतीय जिलों में नेपाली भाषियों की नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने में सफल हुए थे। 21 फ़रवरी के दिन को युनेस्को के आद्यान पर मातृभाषा के दिवस के रूप में सारी दुनिया में मनाया जाता है। इस 21 फ़रवरी को युनेस्को के महासचिव कोइचिरो मारसुरा ने अपने एक वक्त्य में बताया है कि आज दुनिया की लगभग 3000 भाषाएँ खतरे में पड़ी हुई हैं। उनका अस्तित्व खतरे में है। पूरे विश्व में बोली जाने वाली 6000 भाषाओं में से 3000 भाषाओं का अस्तित्व खतरे में हो गया। जाहिर है कि हमारे लिए, मानव समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। महोदय, हर भाषा मनुष्य के होने का सबब है। एक ऐसी जिन्दा विरासत है जिसकी हमे अवश्य रक्षा करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संस्था ने इस सिलसिले में विश्व की भाषाओं पर खतरे को बताने वाले एटलस के दूसरे संस्करण और विशेषज्ञों का हवाला देते हुए बताया है कि किसी भी समुदाय की भाषा तब खतरे में पड़ती है जब कम से कम 30 फ़ीसदी बच्चे उस भाषा को सीखते ही नहीं हैं। भाषा पर खतरे का एक बड़ा कारण यह कारण यह भी होता है कि उसके बोलने वाले किसी दूसरी और आर्थिक रूप से समृद्ध भाषा के सम्पर्क में आते हैं। लोग अपने बच्चे को खास तौर पर नौकरियां पाने के लिए इस प्रकार की हावी संस्कृति की भाषा सीखने के लिए प्रेरित करते हैं और यह हमारे रोजमरा का अनुभव है। युनेस्को ने बताया है कि यूरोप में दमनकारी नीतियों के कारण वहां की लगभग 50 भाषाएँ खतरे में हैं। अकेले फ्रांस में 14 भाषाओं पर संकट आन पड़ा है। सभापति महोदय, यहां गौर करने के लायक बात यह है कि दुनिया के जो देश मानव विकास सूचकांक की दृस्टि से सबसे आगे हैं मसलन रॉयलिनेवियन, कनट्रीज, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, तथा स्वीटजर लैंड इन देशों ने अपने बहुभाषावाद को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इससे यह भी पता चलता है कि जो देश मानव सूचकांक के पर्दे पर आगे है, वह किस तरह अपनी भाषा के प्रति जागरुक है। सभापति महोदय, कहने की जरूरत नहीं कि किसी भी मातृभाषा का दमन उस भाषा को बोलने वाले मनुष्यों की सास्कृतिक रूप को अपनी मूल्यावान धरोहर समझकर मानते हैं तो वे इसके प्रति सचेत रहते हैं। इसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी मैं समझती हूं कि हम तमाम भारतीयों भाषाओं की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी मैं समझती हूं कि हम तमाम भारतीय भाषाओं की रक्षा कर पाएंगे। डोगरी को, जिसको जम्मू-कश्मीर में प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जम्मू-कश्मीर में प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जम्मू के स्कूलों में भी पढ़ायी जाती है। कर्ण सिंह जी ने बताया कि वहां यूनिवर्सिटी तक में भी पड़ाई जाती है। जम्मू कश्मीर कला- संस्कृति अकादमी नियमित रूप से डोगरी में पुस्तकों का प्रकाशन करती है। इस भाषा में सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों के लिए वार्षिक पुरस्कार दिये जाते हैं और साहित्य प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है 1967 में डोगरी का पहला शब्दकोष प्रकाशित हुआ था जिसमें इसकी दोनों मुख्य बोलियों – पश्चिम और पूर्वी के 33,000 शब्द संकलित किये गये थे। 1970 में पहले

अखिल भारतीय डोगरी लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके अलावा अगस्त 1969 में ही साहित्य अकादमी ने डोगरी को एक स्वतंत्र साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। ये तमाम तथ्य इस भाषा की शक्ति और विस्तार को बताने के लिए काफ़ी है। इसीलिए मैं इस भाषा को और संरक्षण देकर इसे विकसित करने का समर्थन करती हूँ। यह सच है कि भारत एक बहुभाषी देश नहीं है जितना हमारे भाषाशास्त्रियों द्वारा बताया जाता रहा है कि भारत में 1652 भाषाएँ बोली जाती हैं। ग्रियर्सन ने लिखा भी था कि हर दस कोस पर भाषा बदलती है लेकिन मैं इस प्रकार के विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं पंडित नेहरू के इस विचार से सहमत हूँ कि लोक शिक्षा के अभाव के कारण भी बहुत सी बोलियां पैदा हो जाती हैं अन्यथा हकीकत यह है कि भाषा की दृष्टि से भारत अनोखे ढंग से और अच्छी तरह से गुंथा हुआ देश है। भाषा की संख्या या बहुभाषिता भाषायी झगड़ों का कारण कभी नहीं हुआ करती है। बैलियम में फ्रांसीसी भाषा है और बालून निवासियों की भाषा है। कनाडा में फ्रेच कनाडियन और एंग्लो कनाडियन है। श्री लंका में सिंहली और तमिल हैं। सिर्फ़ दो भाषाएँ होने पर भी यहां भाषायी समूहों के बीच किस तरह तनाव बने हुए हैं, इस सबसे हम अच्छी तरह परिचित हैं। जबकि दुनिया में ऐसे बहुत से बहुभाषी समाज हैं, जहां कोई भाषायी तनाव नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वीटजरलैंड है। इसलिए भाषाओं की संख्या के आधार पर अलग अलग भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनावों की कमी व्याख्या की नहीं जा सकती। इसके अलावा हमें बोलियाँ और भाषाओं के बीच की समस्याओं पर भी गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि सामंतवाद के जमाने में यहां बृज, अवध, बुंदेलखण्ड, मिथिला, आदि कई छोटे-छोटे जातीय समूहों द्वारा आवासित अंचल थे लेकिन पूँजीवादी के विकास के साथ इन अंचलों का अलगाव खत्म होता गया और इन छोटे-छोटे जातीय समूहों ने आपस में मिलकर एक हिंदीभाषी जाति का निर्माण किया है। आज भी हिंदी भासी जाति के विकास की यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है इसलिए इस क्षेत्र में भाषा और बोली का सवाल बना हुआ है। लेकिन काफ़ी पहले से ही यह ऐटीहासिक प्रक्रिया के बीच से हिन्दी जाति का विकास हुआ है डोगरी हिन्दी के लिए कहीं कोई खतरे का कारण नहीं है बल्कि मैं यह समझती हूँ कि वह एक सहयोगी भाषा रही है और भविस्य में भी रहेगी। इसलिए मैं किसी भी उपजातीय समूह या बोली के अस्तित्व को जातीय समूह के हितों के विरुद्ध नहीं मानती हूँ। जो लोग डोगरी के विकास की मांग को हिंदी विरोधी समझते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ की हमें भाषा को हर बंधन से मुक्त करना चाहिए क्योंकि भाषा में लय है, जीवन की हलचल है। अगर हमें जीवन की हलचल को बरकरार रखना है, जीवन की विविधता को बरकरार रखना है तो भाषा की हलचल को भी हमें बरकरार रखना होगा। मैं कर्ण सिंह जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। बहुत धन्यवाद।

**श्री बालकवि वैरागी (मध्य प्रदेश):** धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ त्रैणी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुझे बात करने के लिए अवसर दिया है। मैं डा. कर्ण सिंह जी को बधाई देता हूँ कि लम्बी तपस्या के बाद कम से कम यह दिन हमें उपलब्ध हो

गया कि हम इस सदन मे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हुए और यह प्रस्ताव विचारार्थ आ गया। माननीय सभापति महोदय, आपने जब मेरा नाम पुकारा तो एक विशेष संधि स्थल पर खड़ा होकर बात कर रहा हूँ।

इस समय हम डोगरी पर बात कर रहे हैं और ठीक इस प्रस्ताव के बाद जो संशोधन आ रहा है, वह डा. एल. एम. सिंघवी जी का राजस्थानी भाषा के संबंध मे है। उनकी भी यही मांग है जो डा. कर्ण सिंह जी की मांग है। मैं इस संधि- स्थल पर खड़ा होकर इधर- उधर दोनों तरफ देखता हूँ तो मुझे दो मनीषी दिखाई देते हैं डा. कर्ण सिंह और डा. एल. एम. सिंघवी जिनका स्थान देश के उच्च कोटि के विचारकों, सास्कृतिक पुरुषों और मनीषियों मे गिना जाता है। इन दोनों के मध्य बोलकर मैं अपने आपको धन्य महसूस करता हूँ। जहां तक डा. कर्ण सिंह जी डोगरी के बारे मे बात कही है बहन सरला महेश्वरी ने जो प्रमुख भासण दिया है, मैं मानता हूँ कि उन्होने काफ़ी अध्ययन किया है, होमर्वक किया है और उसके पश्चात ही वे यहां बोलने के लिए आई हैं। उन्होने बहुत तर्क और इतिहास के साथ अपनी बात को रखा है।

सभापति महोदय, शुरू मे हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची मे 14 भाषाएं थीं, आज हमारे पास 18 भाषाएं हैं और यदि हम इन दो भाषाओं, डोगरी और राजस्थानी को भी इसमे शामिल कर लेते हैं तो हम 20 भाषाओं वाले एक पृष्ठ से वाकिफ़ हो सकेंगे और सारा देश उससे वाकिफ़ हो सकेगा। मुझे केवल दो- चार बातें कहनी हैं, लंबा भासण देने की मेरी स्थिति है लेकिन समय नहीं है और मैं इस सदन का समय इसमे खर्च नहीं करूँगा। मैं मुख्यतः अपनी बाते बहुत छोटे- छोटे मुद्दों पर निवेदन कर दूँगा। एक मूल बात तो यह है कि इतने बड़े संविधान मे जिसमे सैकड़ों पृष्ठ हैं जिसके भीतर कई अध्याय हैं, जिसके भीतर कई परिशिष्ट हैं, उसमे हमसे मांगा क्या जा रहा है? हमसे मांगा जा रहा है केवल एक पृष्ठ पर एक शब्द। ऐसा लगता है कि सिंहासन नहीं मांगा जा रहा है, बृहस्पति की मृगछाला पर सिर्फ़ एक आर्णीवद का प्रमाण हमसे मांगा जा रहा है। यदि हम आठवीं अनुसूची मे इन भाषाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हम इन भाषाओं पर कृपा नहीं करते हैं वरन् संविधान को अधिक समृद्ध, अधिक धनी और अधिक सम्पन्न बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसमे हमे न तो कृपणता करनी चाहिए, न कंजूसी करनी चाहिए।

महोदय, डोगरी में हम प्रतिवर्ष पुरस्कार देते हैं। कम से कम दो कवियों के नाम तो सारा देश जानता है कि ये डोगरी मे लिखने वाले कवि हैं। बाकी दूसरे लोगों के नाम भी बताए हैं, बड़े- बड़े लोगों के नाम भी बताए हैं लेकिन दो नामों से हम परिवेत हैं। डोगरी के एक कवि का नाम है डा. कर्ण सिंह जो कि स्वयं इस प्रस्ताव के प्रस्तावक है, उनको सारा देश जानता है, विदेश जानता है और जैसा उन्होने बताया कि उस कवि सम्मेलन मे पहली कविता मैने पढ़ी थी “अंतरिक्ष मे” इसलिए मुझे पता है की हिंदी के मामले मे कभी भी किसी से कोई समझौता नहीं किया। दूसरी हमारी एक बहन कवयित्री है पद्मा सचदेव जिनको हम कई बार पुरस्कृत कर चुके हैं और जिनके डोगरी लेखन पर हम लोगों को बहुत ज्यादा गर्व होता है। हम उनका नाम बड़े हर्ष के साथ उल्लेख करते हैं। इन दो कवियों ने ही डोगरी के इतिहास को बहुत आगे बढ़ाया है। यदि हम आठवीं अनुसूची मे डोगरी को स्थान देते हैं तो मेरा स्पष्ट निवेदन यह है, चूंकि मैं हिंदी क्षेत्र से हूँ और डाक्टर साहब ने जैसा बताया कि हिंदी को कोई खतरा नहीं है, हम खुद स्वीकार करते हैं कि डोगरी या राजस्थानी से हिंदी को कोई खतरा नहीं है। सभापति महोदय, मैं किसी भाषा के बारे मे लंबी – चौड़ी बात नहीं करना चाहता लेकिन आज अगर देश मे हिंदी की पाचन शक्ति पहले से बढ़ गई है। सब मानेंगे इस चीज को कि हिंदी की पाचन शक्ति पहले से बढ़ गई है। सब मानेंगे इस चीज को हिंदी की पाचन शक्ति बढ़ गई

हैं और यदि पाचन शक्ति पर प्रहार होता तो हम लोग कही बीच में आकर खड़े हो जाते कि ऐसा मत करो। लेकिन यह तो पाचन शक्ति को बढ़ाने का नुस्खा हमारे यहां तैयार हो रहा है। महोदय, पांच जगह हिंदी आकार ले रही है। आप सब अपनी आंखों से देखते हैं, रोज देखते हैं। दक्षिण भारत में एक नई हिंदी शब्द ले रही है। तमिल से, तेलुगु से, कन्नड़ से, मलयालम से, और संस्कृत से। इन पांच भाषाओं से शब्द लेकर एक नई हिंदी वहां तैयार हो रही है। एक हिंदी आकार ले रही है पश्चिम में जो शब्द ले रही है कॉंकणी से, मराठी से, गुजराती से, और दूसरी सहवर्ती भाषाओं से और वहां एक नई हिंदी तैयार हो रही है। उडिया से ले रही है, दूसरी भाषाओं से ले रही है, दूसरी भाषाओं से ले रही है उत्तर में जो कश्मीरी से शब्द ले रही है, डोगरी से ले रही है और क्षमा करें, उर्दू से शब्द ले रही है और इसप्रकार की भाषाओं से एक नई हिंदी तैयार हो रही है लेकिन माननीय सभापति महोदय, डा. कर्ण सिंह जी इस डर को अपने मन से निकाल दे कि आपके कारण हिंदी का नुकसान हो जाएगा। कर्तव्य नहीं होगा क्योंकि जो पांचवीं हिंदी तैयार हो रही है, वह बीच के भारत में तैयार हो रही है और वह शब्द किससे ले रही है? वह अंग्रेजी से शब्द ले रही है और अंग्रेजी का इस देश में सबसे बड़ा जाल कौन सा है?

दो मलयालम वाले मिलते हैं तो मलयालम में बात करते हैं, दो उडिया वाले मिलते हैं तो उडिया में बात करते हैं, दो असमिया मिलते हैं तो असमी में बात करते हैं, दो गुजराती मिलते हैं तो गुजराती में बात करते हैं, दो कश्मीरी मिलते हैं तो कश्मीरीमें बात करते हैं, दो डोगरी मिलते हैं तो डोगरी में ही बात करते हैं लेकिन सभापति महोदय, जहां दो हिंदी वाले मिलते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं। यह आप सब देखते हैं, हम जानते हैं। आप देखते होगे कि हमारी भाषा का सम्मान हमें किस मुकाम पर, मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुका है। ऐसे में हम यदि डोगरी को... (व्यावधान)... जनता के बारे में हम क्या बात करें सरला बहिन, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि हम लोग जिन रेलों में सफ़र करते हैं वहां किस तरह की हिंदी का सम्मिलन देखते हैं। डा. साहब से मैं यह आग्रह करूंगा कि हिंदी को डरने की आवश्यकता नहीं है, न तो राजस्थानी से, डोगरी से। यदि हम इन भाषाओं को यहां स्वीकार करते हैं, चूंकि आई. डी. स्वामी जी यहां नोटस ले रहे हैं, टिप्पणी ले रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं स्वामी जी, अगर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में भी हम इसे उपलब्ध नहीं करा पाए तो मुझे बताइए कि इस देश में ऐसी कौन सी सरकार आएगी जो संविधान में इन एक या दो शब्दों को लिख देगी? अटल बिहारी जी को तो स्वयं अपनी और से रुक्का भेजना चाहिए था, आडवाडी जी को स्वयं अपनी ओर से रुक्का भेजकर कहना चाहिए था। यहां हम बिना किसी बात के इन दोनों भाषाओं को समर्पित सूची में रखने को तैयार हैं, इससे किसी को खतरा नहीं है, किसी को डर नहीं होगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन ने सर्व सम्मति से, निश्चल मन से, अपनी संपूर्ण भाषायी आस्थाओं के साथ, संस्कृति के साथ बात कही है। 'सभापति महोदय, ईश्वर ने गाय को चार स्तन दिए हैं और चारों स्तनों से दूध आता है' लेकिन चारों से दूध का स्वाद एक जैसा होता है। वही हालत हमारी भारत की भाषाओं की भी है। ये भारत माता की वे दुर्घटना भाषाएं हैं कि जहां से भी आप जिस भाषा को लेंगे उसमें आनंद ही आनंद है, रस ही रस है, मिटास है, उसमें कहीं दुराव नहीं है, भाषा- संस्कृति में कहीं नहीं है। मैं समर्थन से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि चार चीजों से हम किसी देश, प्रदेश को पहचानते हैं।

वे चार चीजें हैं – भाषा, भूसा, भोजन और भवन। इन चार चीजों से हम किसी देश को पहचानते हैं। माननीय सभापति जी, यदि हमारे पास दस, बीस, तीस, चलीस, पचास भाषाएँ हैं तो मैं समझ जाता हूं कि उनके लिए संविधान के दरवाजे खुल जाने चाहिए और संविधान के इन खुले दरवाजों से इन भाषाओं को अपना काम करने का उस आंगन में आने का उन्मुक्त अवसर देना चाहिए। हमें किसी तरह से भी इन भाषाओं के प्रति कोई दुराव या डर मन में नहीं रखना चाहिए। भाषा कभी किसी को नहीं डराती, भाषा सदैव मिलाती है। ऐसा मेरा विश्वास है कि डोगरी और इस भाषा को संपूर्ण अस्मिता और संपूर्ण आरथा के साथ करेगी। मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि यदि किसी के मन में किसी किस्म का तिल भर भी कोई राजनीतिक कलुस हो तो उसे बाहर निकाल दे। लाबी से बाहर, सैंट्रल हाल से बाहर सड़क पर छोड़ दे और सदन के भीतर अपने मनों के भीतर आठवीं अनुसूची में कृपा करके इन भाषाओं को रथान देने के लिए संकल्पबद्ध होकर सरकार से प्रार्थना करें, सरकार से स्वीकृति लें। सभापति जी, यदि आपके संरक्षण में हम यह प्राप्त करते हैं तो यह इस वर्ष, इस शताब्दी की हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों मनीषियों का अभिनन्दन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्रीमती जमना देवी बारुपाल (राजस्थान):** सभापति जी, डा. कर्ण सिंह जी ने डोगरी भाषा को शामिल कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करती हूं और उसे भी शामिल किया जाए।

**डा. लक्ष्मीमन्न सिंघवी (राजस्थान):** सभापति महोदय, भारतीय भाषा की बात हो रही है इसलिए यदि मैं भारतीय भाषा में ही दो शब्द कहूं तो उचित होगा। मैं यह मानता हूं कि जो बात माननीय सदस्य श्री बालकपि बैरागी जी ने कहीं श्रीमती सरला माहेश्वरी, डा. कर्ण सिंह जी ने कहीं, वह बात कहीं गहरी संवेदना को, संविधान को, जीवन को छूती है। भारतीय भाषाओं का एक विराट, विपुल, और विस्तृत आयाम है। यह संसार एकता में विविधता और विविधता में एकता का उपहार हनारे देश को देता है। डा. राधाकृष्णन अक्सर कहा करते थे कि भारत का साहित्य तो एक है, यद्यपि वह अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है। हमारे अपने समय में, तीसरी लोक सभा में, जब मैं आया, उसके बाद शीघ्र ही परम आदरणीय डा. लोहिया सदन में आए, उन्होंने भारत को, हिंदी को एक नई ऊर्जा और एक नई दृस्टि दी। उन्होंने इस बात को इस प्रस्तावना को स्थापित किया कि हिंदी के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं को एक साथ लेकर होगा। हिंदी के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं का कोई वैमनस्य नहीं हो सकता। अगर हिंदी को अपनी बात कहनी है तो हमारी अपनी भाषा बन गई है, किन्तु भारतीय भाषाओं के सरद्दन से हमारी अस्मिता का सरद्दन होना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और इस दृस्टि को एक नए तरीके से, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए आत्म विश्वास के साथ, डा. लोहिया ने पहली बार इस देश के सामने रखा और एक तरह से हमारी संघीय अस्मिता को और हमारी एकता को और विविधता को एक नया भाषायी स्वर दिया। मैं उनका स्मरण इसलिए करता हूं कि कई बार पहले यह होता रहा कि हम हिंदी के लोगों ने भी सोचा कि अगर अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं का वर्चस्व बढ़ेगा तो हिंदी कहा रहेगी। कई बार आज भी कई लोग ऐसा सोचते हैं, किन्तु बहुत गहराई के

**1.00 p.m.**

साथ बहुत विवेक के साथ और बड़ी निष्पक्षता के साथ और बड़े आत्म- विश्वास के साथ आज श्रीमती सरला माहशवरी ने और श्री बालकवि बैरागी जी ने जो बात कही है वह हिंदी के आत्म विश्वास को प्रकट करती है। इस बात को प्रकट करती है कि हिंदी हम सब की भाषा है, हिंदी हम सब की संपर्क भाषा है। हिंदी हमारे हृदय की धड़कन है। किंतु इस राष्ट्रिय भाषा के साथ प्रादेशिक भाषाओं का जो सौर मंडल है उसको विकसित करना भी जरुरी है। भारत वर्ष की जो सारकृतिक छवि है, उसको मैं सांस्कृतिक इन्द्रधनुस के रूप में लेता हूं और यह सारकृतिक इन्द्रधनुष उस उदारता का परिचायक है, उस समग्रता का परिचायक है, उस क्षमता का परिचायक है, जिसको हमारे देश ने हमको विरासत के रूप में दिया है। शायद संविधान के समय बहुत गहराइ से विचार नहीं हो पाया, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हमारा संविधान जब बना तो सैंकड़ों अलग अलग सरोकार हमारी संविधान सभा के समक्ष था। उस समय जबकि संविधान बनना शुरू हुआ, सभापति जी आपको स्मरण होगा कि कई देशी राज्य तो अभी तक भारत के संघ में सम्मिलित भी नहीं हुए थे, होने की प्रक्रिया में थे, उस वक्त भाषाओं को लेकर आपस के विरोध, मांगे नहीं स्पष्ट हुई थी, किन्तु बाद में यह बात आई तो कुछ बासाओं को जोड़ना चाहिए। हमने कई भाषाओं को जोड़ा है और जोड़कर हमने इस बात का परिचय दिया है कि भारत वर्ष का प्रजातंत्र एक उदार प्रजातंत्र है। एक ऐसा प्रजातंत्र है जो कि जोड़ना जानता है, स्वीकार करना जानता है, जगह देता है स्पेस होता है। सिंधी, कॉकणी, मणिपुर ये कई भाषाएं और अन्य भाषाएं जुड़ती रही हैं और मैं समझता हूं कि यह हमारी संवैधानिक संभावनाओं का एक दरवाजा है जो देश को एक करने के लिए आवश्यक है।

सभापति जी, मैं समझता हूं कि डंगर क्षेत्र के लोगों की भाषा जिसे डोगरी कहा जाता है, शायद वह किसी एक जाति की भाषा नहीं है। हां एक क्षेत्र की भाषा उस को कहा जा सकता है और जैसा कि डा. कर्ण सिंह ने बहुत मार्मिक शब्दों में कहा है कि इस भाषा का विस्तार होना चाहिए। सभापति जी, हुआ यह है कि वर्षे तक इस भाषा के बोलने वाले कई लोग अलग अलग भाषाओं में लिखते रहे और उन्होंने अपनी भाषा की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इस में शक नहीं कि डोगरी भाषा एक ऐसी भाषा है जिस डोगरी भाषा जिसमें पिछले वर्षों में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। सभापति जी, मैं यहां जिस डोगरी भाषा की कवयित्री का उल्लेख करना चाहता हूं, हमारे मित्र माननीय सदस्य श्री बालकवि बैरागी जी ने भी उन के बारे में कहा है, उन्होंने अपनी एक कविता में डोगरी भाषा को उस शाहनी का दर्जा दिया है जिस के लिए वह काम करती है। वह कवयित्री श्रीमति पद्मा सचदेव जी कहती है:

“कलम ये सरकंडे की

टहनी से झूल रही

टहनी ने कलम मांगी  
खीझकर बोली है वो

अभी परसों ही तो तुम्हे दी थी नई कलम

वह कहां गई, कहो

डरते डरते कहा मैंने

छीलकर हुई खत्म  
 पूछा उस ने  
 क्या किसी बहीखाते पर हो नौकर  
 हिसाब- किताब लिखते – लिखते  
 हर दूसरे दिन कलम चाहिए तुम्हें नई  
 कौन है शाह  
 जिसकी दुनिया पर इतना अधिक काम है  
 कौन है ?  
 मैंने धैर्य से कहा,  
 मैं किसी शाह का नहीं एक शाहनी का काम करती हूं  
 वो शाहनी बड़ी समृद्ध  
 बड़ी बख्तायर है  
 बड़ी संपन्न है  
 उस के घर मे काम करने वाली  
 अकेली मैं नहीं  
 कितने ही चाकर है उस के  
 द्वार पर खड़े हैं हाथ बांधे  
 वो है मेरी मातृभाषा डोगरी  
 निकालो कलम ढूँढती होगी मुझे वो  
 जल्दी करो । “

सभापति जी, भाषा के लिए जो यह गहरी भावना है, जिस का परिचय वहाँ के लोग अपनी भाषा के अनुराग से देते हैं, उस को स्वीकार करना एक सदाशयता का परिचय देना है। संविधान केवल शब्द का विन्यास नहीं होता, संविधान केवल प्रावधान नहीं होता, संविधान मे संस्कृति का स्पंदन होता है। सभापति महोदय, मैं, यह समझता हूं कि इस भाषा को एक शब्द जोड़कर, आठवीं सूची मे जोड़कर, हम वास्तव मे उस उदारता का परिचय देंगे जोकि भारतवर्ष का परिचय है।

सभापति महोदय, अमीर खुसरो जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर हुए हैं और जिन्होने सब से पहले हिंदू नाम प्रचलित किया, जिन्होने कहा कि मुझसे हिंदू नाम बात करो, तभी मैं तुम्हें जवाब दूंगा क्योंकि मैं तो हिंदू की तूती हूं। उस महाकवि ने, उस बड़े हिंदुस्तानियत के प्रवक्ता ने कहा था कि डोगरी एक ऐसी भाषा है जो भारतवर्ष मे बोली जाती है बल्कि उस से भी कुछ पहले चम्बा के कुछ ताम्रपत्रों मे डोगरी का उल्लेख दुर्गर की तरह उल्लेख मिलता है जोकि बाद मे डोगरी हुई। सभापति महोदय, श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने ग्रिएरसन का जिक्र किया था कि उन्होने कहा कि 10-15 कोस पर भाषा बदल जाती है। उस का कारण यह है कि हर भाषा में यह संभावना रहती है और रहना भी चाहिए क्योंकि भाषा का विकास उन लोगों से होता है जो उस का प्रयोग करते हैं। भाषा किसी कारावास मे बंद अपराधी की नहीं है, किंतु भाषा एक सतत प्रवाहमान नदी की तरह है, डोगरी भाषा की एकसूत्रता से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह

सही है कि ग्रिएरसन ने डोगरी, कंज्याली, कांगरी, मटियाली, सिरमौरी, बधाटी, पहाड़ी, लहंडा, कुल्लई, चम्बयाली, कलहूरी, भद्रावा, गूजरी, रोमपुरी, पोगली, होशियारपुरी इत्यादि कई बोलियों का उल्लेख किया है, किंतु इस बात का सबूत है सभापति जी कि इस का वैविध्य बहुत व्यापक है। किंतु इस के व्यापक वैविध्य के कारण डोगरी भाषा की पहचान कम नहीं होती बल्कि उसे इस से संर्वधन मिलता है। सभापति जी, राजस्थानी भाषा की भी पांच अलग-अलग बोलियां हैं, किंतु जिसे उपनिवेशवादी लोगों ने बोलियां कहकर अस्वीकार कर दिया...

उसको अगर स्वतंत्र भारत भी अस्वीकार करता रहा तो हमारी अस्मिता का प्रश्न कैसे चलेगा। आज यह एक बहुत बड़ा सवाल हमारे देश के सामने, दुनिया के सामने है कि इंटरनेट आ गया, प्रोग्रामिकी आ गई और हम जिस भाषा में बात करते हैं, जिसमें संवाद करते हैं, उसको भी स्वीकार नहीं कर सके। सांस्कृतिक रूप से ही सही, मीडियम के लिए हिंदी का अधिक उपयोग होना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्थान भाषा की वकालत करते हुए भी मैंने बराबर यह कहा है कि राजस्थानी के लिए जितना मेरा प्रेम है, उससे एक तनिक भर भी कम प्रेम हिंदी के लिए नहीं है, किन्तु भाषाओं का सहचर, भाषाओं का सहयोग, भाषाओं का संवाद और न उसके बाद इतने वर्षों में ध्यान दे पाए हैं। वास्तव में और भी कई भाषाएं हैं, जिनकी मांग हो सकती है कि उनको सांस्कृतिक मान्यता मिलनी चाहिए। ज्ञान पीठ प्रौढ़ मंडल का अध्यक्ष होने के नाते एक प्रश्न मुझे सालता है कि हमारे देश में कई भाषाएं और कई सृजनात्मकता की प्रतिभाएं हैं, जिनकी और हम अपना ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि वह संविधान में वर्णित नहीं है। यह अन्याय है।

सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि संविधान में जो भी काम संविधान बनते समय अधूरा रहा है, उसे पूरा करने का समय आज आया है। एक व्यापक संदर्भ में देखे तो देश को जोड़ने का एक नया तरीका, एक नया अवसर, एक नई चुनौती हमारे सामने है और अगर हम इस अवसर को खो देते हैं किसी बात को टालने की नीयत से नहीं बल्कि कुछ सकारात्मक दृष्टि से, कुछ करने की नीयत से हमको भाषाओं के प्रश्न को सुलझाने का काम करना है। हम अक्सर प्रश्नाकुल तो होते हैं, किन्तु उत्तर तत्पर नहीं होते। मेरा यह मा नना है कि आज हमें समाधान देने की जरूरत है, उत्तर तत्परता की जरूरत है और मैं यह आशा करता हूं कि यह सरकार, जो एक व्यापक दृष्टि लेकर चली है, अपना ध्यान देगी। मैं श्रीमती सरला माहेश्वरी जी की इस बात से असहमत हूं कि कोई हिंदी वाले लोग, हिंदुत्व के लोग इस बात का विरोध करते हैं। अगर करते हैं, नहीं करना चाहिए। भाषाओं के मामले में जो राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, इसमें मेरा नियेदन है कि यह सरकार एक नए दृष्टिकोण से, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए आत्म-विश्वास के साथ देश के सामने ऐसा कहे कि हम इस को करने वाले हैं, शीघ्र करने वाले हैं। धन्यवाद।

† मिर्जा अब्दुल रशीद (जम्मू कश्मीर)- ऑनरेबिल चेयरमेन सर, डा. कर्ण सिंह साहब ने, जो हमारे रहनुमा है, बड़े ज्ञानी है, विद्वान है, इन्होंने जो डोगरी जुबान को एट्थ

---

† Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version o' th i debate.

## RAJYA SABHA [10 May, 2002]

शैड्यूल में इनकल्यूड करने के लिए बिल पेश किया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) पीठासीनहुए)

सर, डोगरी जुबान बहुत जरखेज जुबान है, मीठी जुबान है और खासकर जम्मू- कश्मीर की रियासत में डोगरी लोगों को यह हक जाता है। महाराज गुलाब सिंह जी से लेकर डा. कर्ण सिंह जी तक ने जिन्होंने जम्मू- कश्मीर की रियासत जो है, यह लखनपुर से लेकर तिब्बत तक और गलगित से लेकर मीरपुर तक इस रियासत के जोगराफ़िए, को जोड़ा मुश्किलतरीन हालात में भी और भारत के अंदर एक छोटा सा भारत जोड़कर रखा, जिसकी बड़ी शानदार रवायात है, जिसका बड़ा इतिहास है, जिसकी तारीख है। जम्मू- कश्मीर में यह डोगरी जुबान नहीं है बल्कि इसमें मुसलमान, सिक्ख और दूसरे सभी मजहबों के लोग हैं वह भी इसको अपनी जुबान समझते हैं। 1947 में अंग्रेजी ने जब हमारे मुल्क के दो हिस्से किए तब मुल्क की जुबान उर्दू थी, उस वक्त उसको धक्का पहुंचा इसी तरह जम्मू- कश्मीर रियासत पर जब लाइन आफ़ ऐकच्युअल कंट्रोल खींची गई तो, उससे जहां लोग तक्सीम हुए वही यह डोगरी जबान को उससे बड़ा नुकसान हुआ। आज भी जम्मू- कश्मीर की रियासत में और खासकर मकबूजा कश्मीर में, जो हमारे कश्मीर का हिस्सा है, जिसके लिए हमने आज भी अपने असैम्बली में 25 सीटें रखी हुई हैं, वहां 99 परसेंट लोग आज भी डोगरी बोलते हैं, भले ही वह पाकिस्तान के कब्जे में है। इसी तरह शुमाली पाकिस्तान में जो रावलपिंडी और लाहौर का हिस्सा है, वहां के सब लोग डोगरी समझते और बोलते हैं। गर्ज कि हमारे जम्मू- कश्मीर के सभी लोग इसको समझते भी हैं, बोलते भी हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है लाइन आफ़ ऐकच्युअल कंट्रोल बनने से, वह डोगरी जबान का हो गया है, डोगरी लोगों को हुआ है। अगर यह लाइन आफ़ ऐकच्युअल कंट्रोल न हो तो आज वहां की सियासी शक्ल कुछ और ही होती। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और शुमाली हिन्दुस्तान में लोग डोगरी भाषा को बोलते भी हैं, समझते भी हैं। यह भी सच है कि जम्मू- कश्मीर, हिमाचल प्रदेश कभी एक बड़े पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे और इसमें कोई दो राये नहीं हैं। जहां तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, हमें खुशी और नाज है कि दुनिया में जितने धर्म और मजहब हैं, वे हमारे मुल्क में पनप रहे हैं, और दुनिया में जितना जबान है, ये हमारे हिन्दुस्तान में पनप रही हैं, परवान चढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनकी तरकी हो रही है। इसलिए कहा जाता है:-

गुलहाए रंगारंग से है रौनके चमन

हमी हम है क्या हम है, तुम्ही तुम हो तो क्या तुम हो

जहां तक डा. कर्ण सिंह जी द्वारा इस डोगरी भाषा के लिए बिल को पेश करने का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि डा. कर्ण सिंह जी हमारे मुल्क के बड़े नेता हैं, रहनुमा हैं, और जम्मू- कश्मीर में डोगरी भाषा के सिलसिले में इन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये खुद बहुत बड़े शायर हैं, अदीब भी हैं, संगीतकार भी हैं और इन्होंने डोगरी भाषा को एक खास मकाम दिया है और इन्होंने डोगरी भाषा को 8वें शैड्यूल में इन्कल्यूड करने के लिए तहरीक भी चलाई है, बड़ी

मेहनत की है। इसी साल हम प्रधान मंत्री जी, जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी के रेजिडेंस पर एक डोगरी डेपुटेशन लेकर गए थे , मेडम पदम सचदेव जिसकी रहनुमाई कर रही थी, उसमे मै भी शामिल था। जब प्रधान मंत्री जी ने सारी बात सुनी तो उन्होने मौके पर ही कह दिया कि इसी साल हम कांस्टिट्यूशन मे अमेंडमेंट के लिए एक बिल लाएंगे , ऐसा उन्होने यकीन दिलाया था। उसी जिमन मे मैने अपने दो- तीन क्यूडी दिए , इसी सैशन मे उसका जवाब आया कि हम बहुत जल्दी इसको 8वे शैड्यूल मे इन्कलूड करने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं।

डा. कर्ण सिंह , जो हर लिहाज से हमारे नेता है , आज इन्होने जो बिल पेश किया है, हम इसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि डोगरी भाषा को 8वे शैड्यूल मे शामिल किया जाना चाहिए और यह सरकार इसकी जिमेदारी ले कि अगर वह कांस्टिट्यूशन मे अमेंडमेंट करना चाहती है तो उसे जल्दी किया जाए क्योंकि 1969 मे साहित्य अकादमी ने इसकी ऐप्रूवल दी थी और इसको रिकमेंड भी किया था , उसके बाद से 30-40 साल हो चुके हैं और डोगरी लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, खासकर जम्मू- कश्मीर की रियासत मे। वहां डोगरी जबान मां का, बड़ी बहन का रोल अदा करती है। जो छोटी- छोटी दूसरी जबाने वहा पर है – पंजाबी , पहाड़ी , गोदरी , वे भी इन्ही से इंस्पिरेशन लेती हैं।

इसलिए मै मरकजी सरकार से तबक्को करूँगा कि वह बहुत जल्दी इस बिल को पास करके कांस्टिट्यूशन मे अमेंडमेंट करके डोगरी भाषा को 8वे शैड्यूल मे मकाम दिलाए ताकि लोगो की जो देरीना मांग है , उसको पूरा किया जा सके। शुक्रिया।

**श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश):** सभापति महोदय, मै डा. कर्ण सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस मुद्दे पर जो बहस हुई है ,वह ज्यादा साहित्यिक भाषा मे हुई है और हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी कवि – सम्मेलन मे बैठे हैं और इस सदन मे जो कलह हुआ करता है, आज इस सदन का वातावरण उस कलह से मुक्त सा दिखाई पड़ रहा था ।

महोदय , मुझे साहित्यिक भाषा तो बोलनी नहीं आती है। बैरागी जी मुझे क्षमा करे, सरला बहन क्षमा करे , डा. कर्ण सिंह जी क्षमा करे और सिंघवी साहब क्षमा करें। महोदय, भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हर आदमी जो पैदा होता है , वह कोई न कोई भाषा बोलता है। कुछ लोग कम तादाद मे होते हैं, पिछड़े इलाके मे होते हैं। उनकी भाषा लालित्य और साहित्य की दृष्टि से बहुत खूबसूरत और संपन्न होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाती। यही डा. कर्ण सिंह जी के दिल का दर्द है और इसलिए ये चाहते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची मे इस भाषा को जोड़ दिया जाए। महोदय , हिंदुस्तान मे बहुत सी भाषाएं हैं जिनको हम बोली तो नहीं कहेंगे , भाषा ही कहेंगे क्योंकि बोलियां तो बहुत छोटे दायरे मे होती हैं। वे भाषाएं इस दर्द से करार रही हैं। मै डा. कर्ण सिंह और इस सदन से कहना चाहता हूँ कि यह सही है कि दूसरी भाषाओं खासकर उर्दू वगैरह को जब प्राथमिकता दी जाती है तो हिंदी के कुछ साहित्यकार कभी – कभी ऐतराज करते हैं। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यो ने कहा, भारतीय भाषाओं मे ऐतराज की कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदी अगर बड़ी बहन हो सकती है तो बाकी मातृभाषाएं छोटी बहन हो सकती हैं। बड़ी बहन का काम यह है कि वह छोटी बहन के इतराने और तुनकने को थोड़ा बरदाश्त करे। कभी कभी जो कर्कश किस्म की बड़ी बहन होती है , वह छोटी बहनों को डांटा करती है। यह किसी परिवार को चलाने के लिए अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है। मै खास तौर से डा. कर्ण सिंह और सिंघवी साहब से यह कहूँगा कि जब कोई बड़ा पेड़ होता है , तो उसके नीचे जितने

पौधे निकलते हैं , वे पीले – पीले निकलते हैं, अच्छे नहीं निकलते हैं।

महोदय , भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, भाषा शोषण का माध्यम भी है। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण होता है। जो व्यक्ति मजबूत होता है, वह कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है। जाति द्वारा जाति का शोषण होता है। नियम के हिसाब से जो जाति मजबूत होती है, वह कमजोर जातियों का शोषण करती है। धर्म द्वारा धर्म का शोषण होता है। ये सब जन्म से मिली हुई चीजें हैं – भाषा, जाति , धर्म, और देश। देश द्वारा देश का शोषण होता है, हम जिस देश में पैदा हुए , अगर हमारा देश संपन्न है तो हम उस देश का शोषण करते हैं जो हमसे कमजोर है। हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, अगर वह बड़ी जाति है , तो वह छोटी जाति का शोषण करती है। हम जिस धर्म में पैदा हुए, अगर हमारी संख्या वालों का शोषण करते हैं।

महोदय, हिंदुस्तान की विडंबना यह है कि हिंदुस्तान की इन सारी भाषाओं का, यहां तक कि हिंदी का शोषण एक विदेशी भाषा करती रही है। इस प्रस्ताव की भावना में यह बात नहीं है, लेकिन मैं इसे जरुर जोड़ना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का शासन उस भाषा में चलेगा, जिस भाषा में हमने अपने बचपन में नानी से लोरी सुनी थी, अपनी मां के सीने से दूध पिआ था, या हिंदुस्तान का शासन उस भाषा में चलेगा जो 15-20 साल बाद हमें सिखाई गई ? भाषा भी भाषा का शोषण करती है। जब तक हम इस मर्म को नहीं समझेंगे, न केवल डोगरी , न केवल राजस्थानी , बल्कि हिंदी भी शोषण का शिकार रहेगी। इस मर्म को यह सदन समझे, केवल यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

**डा. रमेंद्र कुमार यादव (बिहार):** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं डा. कर्ण सिंह के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ बोलूँ उससे पूर्व डा. सुमन की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रख देना चाहूँगा।

पूर्व परिचय भी नहीं था आज भी हम हैं अपरिचित

यह अछूते अधर अपने मुक्ता में ही प्रकाप्ति।

माननीय जिस डोगरी भाषा का प्रस्ताव लेकर डा. कर्ण सिंह आए है मुझे उस भाषा का कोई ज्ञान नहीं है कोई जानकारी नहीं है। मूल में इतना जानता हूँ कि वह एक भाषा है जिसके वह जाने माने कवि हैं इस देश के। भाषण के क्रम में बहन सरला माहैश्वरी जी ने इसे अस्मिता और अभिव्यक्ति की संज्ञा दी। हमारे पूज्य बालकवि बैरामी जी ने कहा कि भाषा गाये के स्तन जैसी होती है और हर स्तन के दूध का स्वाद एक जैसा होता है उससे बड़ी बात नहीं हो सकती।

डा. सिंधवी ने हिंदी को अपनी परिभाषा की संज्ञा दी। सम्पर्क का माध्यम बताया और हिंदी हमारी मर्यादा है इस तरह की बाते कही। पर आदरणीय जनेश्वर जी ने अधिक सामाजिक होकर भाषाई शोषण की बात उठाई। उन्होंने कहा कि बड़ी बहन जब कड़े मिजाज की होती है तो छोटी बहनों को डांटती है। मैं तो साहित्य का एक छात्र रहा हूँ। आंसू के खारापन को पृथक – पृथक नहीं पहचाना जा सकता। करुणा के घनत्व को नापने के लिए कोई इलेक्ट्रोमीटर बैरोमीटर या थर्मोमीटर नहीं हो सकता है। हम गरमी को जोड़े को धूप को वातावरण को नाप सकते हैं लेकिन आंखों की करुणा के घनत्व को, उसकी गहराई को , उसके खरापन को,

उसकी रिक्तता को , उसकी तृप्तता को, हम तोल नहीं सकते माप नहीं सकते। जहां तक हिंदी का सवाल है और सहमति की बात उठती है मैं यह मानता हूं कि छोटी नदियां सहायक नदियां समुद्र की गहराई बढ़ाती है। अगर सहायक नदियां ना हो तो समुद्र की गहराई को हम माप सकते हैं। मैंने पहले कहा कि इलेक्ट्रोमीटर , हैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, से हम माप सकते हैं, लेकिन आखों की करुणा को, उसके खारापन को, या उसकी वेदना को, आशा को, निराशा को, आकांक्षा को, निरुत्साह को, घृणा को हम नाप नहीं सकते हैं महसूस कर सकते हैं अनुभूत कर सकते हैं। जैसा मैंने बहन सरला माहेश्वरी जी को कोट किया था तथा उन्होंने उसे अभिव्यक्ति और अस्मिता की संज्ञा दी। डा. सिंघवी ने हिंदी को परिभाषा और सम्पर्क की भाषा बताया और श्री बालकवि बैरागी ने कहा कि भाषा तो ग्राय के चार थन जैसी होती है और धार का स्वाद एक जैसा नहीं होता है। अभी कवयित्री सचदेवा का नाम आया परम आदरणीय कर्ण सिंह जी का नाम आया और भी नाम आए। डोगरी रेजीमेंट भी है और यह पंजाब के गुरदासमान , हिमाचल प्रदेश, जम्मू – कश्मीर और अन्य भूभाग में भी यह भाषा बोली जाती है।

अगर उसकी पहचान न हो, उसकी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम न हो, एक मंच न हो, चाहे साहित्य अकादमी के द्वारा उसको पहचाना गया हो लेकिन जब तक हमारे भारतीय संविधान की आठवीं सूची मे कोई प्रावधान नहीं होता है, उसे शामिल नहीं किया जाता है, उस प्रवंचित समाज की जो अभिव्यक्ति है, उसका जो शब्दकोष है – जिसमे जैसा सरला जी ने बताया – उसमे 33 लाख शब्दों का शब्दकोष है – उसका क्या होगा? अगर आज हमारी भाषा समृद्ध होती है – लोग यह मानते हैं कि भाषा की समृद्धि से किसी देश की संस्कृति को, सभ्यता को हम परख सकते हैं , आंक सकते हैं। मैं तो मानता हूं और सभी मानते हैं कि साहित्य समाज की कसौटी है, साहित्य समाज का दर्पण है, उसकी कसौटी ,उसकी संस्कृति ,उसकी सभ्यता उसकी बोली है। चाहे हम मां को , भाभी को भ्रातृजाया कहै ,भौजी कहै , भाऊजिया कहै या भाभी कहै, सबका एक ही मतलब होता है। हम धर्म को धर्म कहै रिलीजियन कहै,या गुरुग्रंथ साहब की बात कहै। जहां तक भाषाई गडमडता का सवाल है , तो मैं कहना चाहता हूं कि तुलसीदासकृत जो रामायण है , उसकी भाषा क्या है? क्या कोई हिंदी वाला है – वह अवधि मे लिखा गया महाकाव्य है। इसी तरह आदिकवि बाल्मीकी का जो महाकाव्य है, वह किस भाषा मे है? इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब जो लिखा गया, उसकी क्या भाषा है- किन्तु जो उसकी अभिव्यक्ति है,उसमे जो अभिप्रेत है, जो जीवन का तथ्य है ,जो जीवन का चिंतन है, जो हमारी संवेदनाएं है ,जो हमारी अभिव्यक्तियां है ,जो सनातनता है , जो शाश्वतता है, उससे समाज का एक एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साहित्य हमे जोड़ता है, साहित्य की कसौटी पर मापने के लिए उस समाज के दुख को, दर्द को, संवेदना को , अहसास को - हम लोग पढ़ते हैं-आशा हो, निराशा हो, उत्कर्ष हो, अपकर्ष हो, घृणा हो, करुणा हो, - वह मूल मे एक ही है। आज चाहे हम अपने पिता को डेढ़ी कहै, बाऊजी कहै, अब्बा कहै, कोई अंतर नहीं है पड़ता है। वैसे ही चाहे जर्मन मे लोग पैटर कहते हैं, हम लोग पिताजी कहते हैं, इस सबका मतलब होता है जनम देने वाला। भाषा हमारी अभिव्यक्ति है, अस्मिता है, हमारी परिभाषा है, हमारी संस्कृति है,हमारी मर्यादा है, इसलिए इसको – और फिर यह तो इस्टैब्लिशड, एक स्थापित भाषा है, जिसे डोगरी कहते हैं – अगर इसको आठवीं सूची मे जोड़ने का सरकार संकल्प लेती है और माननीय डाक्टर कर्ण सिंह जी तो अपने आपमे एक साहित्य है, अपने आपमे एक संस्कृत है। वे स्वंय संस्कृत के महा विद्वान हिन्दी के महाविद्वान और मेरी बहन कह रही थीं, अंगोजी के भी विद्वान हैं। बहुत कम लोग इस सदन मे या उस सदन मे ऐसे हैं जो भाषा के नाम पर इतने जाने जाते हों, जो भारतीय संस्कृति

के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। जहां तक उनकी अभिव्यक्ति का सवाल है उस महामना व्यक्ति के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है, मैं, चाहूंगा कि आदमी – लोग कहते हैं धन बढ़े , पुत्र बढ़े तो किसी को बुरा नहीं लगता- अगर हमारी भाषाएं बढ़ती हैं, और हमारी भाषा संस्कृति जिस पर हमे गर्व है, जिसकी उपलब्धियों पर हमे गर्व है। आज हमारी 20 भाषाएं हो जाएंगी । डाक्टर सिंघवी जी और डाक्टर कर्ण सिंह जी तथा हमारी एक बड़ी बहिन वहां बैठी हुई है, उन्होंने भी कहा, उसको भी जोड़ा जाए जिससे हमारी भाषायी समृद्धि के मामले मे- जैसे हमारा भारत महान है, उदार है, उसी उदारता से मैं भी माननीय पीठासीन पदाधिकारी से और माननीय सदन से अपेक्षा रखूंगा कि बिना किसी हील – हवाले के इस प्रस्ताव का सम्मानपूर्वक समर्थन किया जाना चाहिए। जय हिन्द।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी):** इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूं, मैं सदन की राय लेना चाहूंगा कि यदि सदन अनुमति दे तो इस महान आसंदी पर श्री रामदेव भंडारी को आगे के बिजिनेस के लिए बिठा दिया जाए ।

{ उपसभाध्यक्ष (प्रो. रामदेव भंडारी) पीठासन हुए }

**श्री एस. एस. अहुलुवालिया (झारखण्ड):** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं डा. कर्ण सिंह द्वारा पुरुष स्थापित संविधान संशोधन विधेयक, 2001, जिसमे उन्होंने भारत के संविधान की आड़वी अनुसूची मे डोगरी को शामिल करने के लिए इस बहस की शुरुआत की है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, डोगरी भाषा अपने आप मे उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी पहचान रखती है। यह भाषा एक ऐसी भाषा है कि जब हमलावर हमारे देश मे आते थे और हमारे शूरवीर डोगरी जब उनका मुकाबला करते थे तो मजबूर होकर मंगोलियों और पठानों को डोगरी भाषा सीखने पड़ती थी यह जानने के लिए कि भारत माता के ये सच्चे सपूत, शूरवीर, हिंदुस्तान के रक्षक अपने भारत की अस्मिता और अपने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, अपने हिंदुस्तान की इज्जत रखने के लिए किस तरह से तत्पर है, और किस तरह से चट्टान की तरह, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों मे किस तरह से खड़े होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि अरबी और फ़ारसी मे भी लोग उनकी भाषा मे डोगरों के गुणगान गाते थे। जैसे हरी सिंह नलवा के बारे मे कहा जाता है कि वहां के पठानों की माताएं, जब उनको बच्चे तंग करते थे तो उनको लोरी सुनाने के बजाय वे कहा करती थी कि सो जा, सो जा जल्दी, नलया आया है। यह इतिहास, यह सभ्यता, यह साहित्य है। लोग कहते हैं, कि जिस देश का अपना इतिहास न हो, जिस सभ्यता का अपना इतिहास न हो, वह बिना रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। इतिहास किसी सभ्यता की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। अगर आदमी स्पाइनलेस हो जाए तो वह खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार हमारी सभ्यता, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास की रीढ़ की हड्डी पर खड़ी है। जब हम न्याय की बात करें, अगर किसी के सामने कोई न्याय की गुहार लगाने गया है, चाहूं किसी न्यायमूर्ति की भाषा अलग है और न्याय की गुहार लगाने वाले की भाषा उसे समझ न आती हो, उसको न्याय का या अन्याय का, उसको जब समझ नहीं आया तो उसे उसका अनुभव नहीं होता है।

महोदय, वैसे तो आज फ़िल्मों का प्रचलन बहुत है और यहां सुबह से सब कविताएँ सुना रहे हैं लेकिन मैं तो फ़िल्मों के प्रचलन की बात करता हूं। शायद ही कोई फ़िल्म होगी जहां भारत की वादियां और पहाड़ियां न दिखाई जाती हों और उनमे जो गीत होते हैं, उनमे कोई

डोगरी शब्द न हो। डोगरी भाषा आती हो या न आती हो पर अगर फ़िल्म मे कोई गीत आ जाए या टी. वी. पर कोई प्रोग्राम आ रहा हो तो आदमी के शरीर मे उसकी ताल से, उसकी लय से सिहरन पैदा हो जाती है। वास्तव मे भारत मे करीब 4000 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। हरेक पचास मील पर बोलियां बदल जाती हैं। मैं विहार का रहने वाला हूं और झारखण्ड को रिप्रेजेंट करता हूं। हमारे यहां मगधी, मैथिली, भोजपुरी बोली जाती है और मॉरीशस मे बोली जाती है। मॉरीशस की ऑफीशियल और अनऑफ़िशियल लैंग्वेज भोजपुरी है। अगर आपको भोजपुरी आती है तो आप वहां कोई भी काम करा सकते हैं। सुरीनाम फ़ीजी मे आप चले जाइए, भोजपुरी वहां की भी भाषा है। पर हम आज भी वह मान, सम्मान देकर इसे ऐटथ शैड्यूल मे नहीं ला सके हैं। उपसभाध्यक्ष जी, मैं, आई. पी. यू. की कामन वेत्थ की एक कांफ्रेस अटैण्ड करने के लिए मारीशस गया। वहां मैंने देखा कि वहां एक ओम चैनल है, जो भोजपुरी मे आता है। उस पर भोजपुरी भाषा के पूरे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। उसी का चैनल न्यूजीलैंड मे दिखाया जाता है वह भी ओम चैनल है और वह भी भोजपुरी मे आता है। जब मैंने वहां के लोगो से भोजपुरी मे बात की तो उस टी. वी. चैनल का जो डायरेक्टर था, उसने कैमरे की पूरी टीम मेरे पास भेज दी कि आप पूरा इंटरव्यू भोजपुरी मे दीजिए। भारत से बाहर रहने वाले जो बाणिंदे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैंने अपना एक धंटे का इंटरव्यू दिया कि भारत की समृद्धि, सम्भाता, संस्कृति क्या है। अंततः उन्होने कहा कि आप लास्ट मैसेज दीजिए तब मैंने कहा भोजपुरी मे कहा कि मैंया, जहां रहा अपने माए के मत भूलिया। माए तोहार है भारत माता, उकरा मत भूलिया, चाहै जो होइ, जब होइ। अगर कुछ करेके होइ तो अपने भारत माता माई के न भूलिया, कोई खातिर करिया। वह चैनल देखने के बाद न्यूजीलैंड से लोग भोजपुरी मे मेरा इंटरव्यू है लेने के लिए आए।

**श्री मूलचन्द्र मीणा:** यहां डोगरी की बात हो रही है।

**श्री एस. एस. अहलुवालिया:** अरे भई, आपकी समझ से बाहर की चीज है। यह आपकी समझ से बाहर की चीज है। भाषा की क्या वैल्यू है, मैं वह बता रहा हूं। डोगरी मे जो समझाया वह भी नहीं समझ आया तुम्हें। उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन मे मैंने मैथिली भाषा मे कितना काम किया है। मैथिली की अपनी स्क्रिप्ट है। आज हमारे संथाली भाई, जो शैड्यूल ट्राइब हैं, कांस्टीट्यूशन मे शैड्यूल ट्राइब्स के लिए कितना कुछ देने के लिए हमने प्रावधान रखे हैं, वे सारे प्रावधान रखने के बावजूद क्या कभी हमने सोचा है कि संथाली को भी इसमे जोड़ा जाए? मैं पूरी तरह से डा. कर्ण सिंह जी की बात से सहमत हूं और सहमत होते हुए यह कहता हूं कि भावनाएं को अगर पेश कर सकता है तो वह उसकी माद्रे जुबान है। अगर मुझसे कोई पूछे कि अहलुवालिया जी आपकी माद्रे कि मेरी माद्रे जुबान पंजाबी है। परंतु पंजाबी के बावजूद मैं बंगाली मैं भी उतना ही स्पष्टभाषी हूं जितना हिंदी मे हूं।

**श्री माननीय सदस्य:** आपकी ससुराल है।

**श्री एस. एस. अहलुवालिया:** उसकी वजह से नहीं।

**श्री रमेंद्र कुमार यादव “रवि”:** अद्वागनी का असर है।

**श्री एस. एस. अहलुवालिया:** अद्वागनी का असर भी दिखना चाहिए। सिर्फ अद्वानारीश्वर

होने की कल्पना ही नहीं होनी चाहिए, अद्वैतगती का असर भी दिखना चाहिए। आपको सुनकर आशचर्य होगा कि बंगाल मेरा जन्म स्थान है। गुजराती में शादी होती तो शायद गुजराती में भी उतना स्पष्टभाषी होता।

#### एक माननीय सदस्य: दूसरी कर लीजिए।

**श्री एस. एस. अहलुवालिया:** दूसरी करने की परंपरा कहीं और होगी, मेरे यहां नहीं है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं, संथाली भाषा के बारे में कह रहा था। हम शेड्यूल ट्राइब्स को कितना कुछ प्रावधान दे रहा है अतः संथाली भाषा को भी वह सब देने की जरूरत है, इसलिए इनकी डोगरी की मांग पूरी की जाए। भाषाओं को ऐटथ शेड्यूल में जोड़ने के लिए एक नेशनल कमीशन बनाने की जरूरत है। जो नेशनल कमीशन पांच सौ डिस्ट्रिक्ट कंट्री के हैं, जहां चार हजार से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं।

ऐसा देश सारी पृथ्वी पर कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा और चार हजार भाषाओं में बोलने के बावजूद भी अपनी एकता के लिए, अपने देश प्रेम के लिए, सारी दुनिया में जाना जाता है कि जिस वक्त सरहदों में हमारे साथी डोगरी की वीर रस गाथाएं सुनकर अपनी भारत माता की रक्षा करने में लीन होते हैं तो कहीं बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारे लगते हैं, तो कहीं असमियां दंगोरी बाबा के किस्से सुना कर, कहीं शंकर देवा के किस्से सुना कर, किस तरह से जा करके करते हैं। तो भाषा की जो चीज है वह सम्प्यता और संस्कृति से आती है और उसको उसी भाषा में बताया जाए तो ठीक लगता है। अब क्लियोपेट्रा को हिंदी में पढ़ा जाए तो अजीब सा लगता है, उसे वहां की भाषा में पढ़ा जाए तो ठीक है। हीर राङ्घा और वारिस शाह को सुनना हो तो पंजाबी में सुनो, पर जब उसका अर्थ बंगाली में हो जाता है तो उसमें वह बात नहीं रहती। हम बंगाली के रविन्द्र संगीत को सुनते हैं या उनकी गीतांजलि को बंगाली में पढ़ते हैं तो उसमें रस अलग है और जब उसे अंग्रेजी में या फ्रेंच में पढ़ते हैं तो रस अलग होता है। उन भावनाओं का प्रकटीकरण तो अपनी मातृभाषा से ही किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि हर भारतवासी को यह अधिकार है कि जिस संविधान को गणतंत्र के अधिकारों का कुरान या गणतंत्र के अधिकारों का गुरु ग्रंथ साहिब माना जाए तो उसका अपनी भाषा बोलने का या अपनी भाषा में अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर प्रदान जरूर होना चाहिए। मैं कर्ण सिंह जी से भी गुजारिश करता हूं कि इस पर एक नेशनल कमीशन बैठे और ये जो पांच सौ जिले हैं यहां पर जो भाषाएं मुख्य धारा से विचित हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, क्या होगा, इतना ही होगा ना कि नोट में पांच सौ रूपये का नोट हो चाहै दो रूपये का नोट हो उस पर 18 भाषाओं में लिखा रहता है यह दो रूपये है या पांच सौ रूपये का नोट है या एक हजार रूपये का नोट है, फिर वह छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा या उसमें लिखना बंद कर दीजिए, सिर्फ़ नंबर ही लिखिए, पर यह अधिकार मिलें कि कोट में, कचहरी में, इम्तहान में, एग्जामिनेशन में और कंपीटिशन में हम उन बातों को आदान – प्रदान कर सकें। यही कहते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**श्री चन्द्रकला पांडेय (पश्चिम बंगाल)**.माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं शायद इस विधेयक की अंतिम वक्ता हूं और काफ़ी देर बाद मैं आई, मैंने सोचा कि भाषा की प्रोफ़ेसर होने के नाते मेरा एक दायित्व होता है कि इस पर मैं भी दो शब्द कहूं। इससे पहले हमारी पार्टी से, मेरी

सहकर्मी बहन सरला माहैश्वरी जी इस पर विस्तारपूर्वक बोल चुकी है और जैसे कि उन्होंने बताया कि भाषा अभिव्यक्ति और अस्मिता का एक माध्यम है, सचमुच जब तक किसी भाषा की समृद्धि नहीं होती, तब तक उस देश की समृद्धि नहीं होती और कर्ण सिंह जी जो यह विधेयक लाए हैं, मैं इसका स्वागत करना चाहूँगी। भारत में अनेकानेक भाषाएँ हैं, कम से कम चार हजार से अधिक तो यहां बोलियां हैं। यहां के बारे में यह कहा गया है कि चार कोस पर पानी बदलें, कोस – कोस पर वाणी अर्थात् थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बोलियां बदल जाया करती हैं और लोग एक बोली से दूसरी बोली को समझते हुए अपनी मीलों लंबी यात्रा तय कर लिया करते हैं। इसलिए भाषा तो ज्ञान को वहन करने का साधन है। भाषा इसलिए बनी है कि तू और मैं को जोड़ सकें, तुम और मैं को एकीकार कर सकें। लेकिन इस देश में जहां अन्य बहुत सी चीजों के लिए झगड़े और उत्पात शुरू हो जाते हैं, वहां भाषा को लेकर भी हो गए हैं और वह भाषा जो तू और मैं को जोड़ने का साधन रही है, कई बार तू- तू, मैं- मैं का साधन हो जाती है, जैसे कि अभी जब अहतुवालिया जी भोजपुरी का कुछ बता रहे थे। अच्छी बात है, भोजपुरी इतनी समृद्ध भाषा है और उसकी और अधिक उन्नति की बात भी हमें सोचनी चाहिए, तो अन्य कुछ लोगों को लग रहा था कि आप..... आप को तो डोगरी के बारे में बोलना था, आप मैथिली अथवा भोजपुरी के बारे में इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं।

उपासभाध्यक्ष महोदय, मैं अनुवाद पढ़ने और अनुवाद करने में बहुत अधिक आनंद अनुभव करती हूँ। इस बीच मुझे त्रिपुरा जाने का मौका मिला। मैंने यहां देखा कि त्रिपुरा की अपनी जुबान “कक्कबरक” भाषा है अर्थात् जनता की भाषा है जबकि आम लोग जानते हैं कि वहां के लोग बंगला भाषा ही बोला करते हैं। महोदय, मैं वहां 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने के सिलसिले में गयी थी। वहां मैंने कई लोगों से बात की और मुझे इस बात का दुख है कि अनेक प्रदेशों के लोगों को यह पता नहीं है कि 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस यू. एन. ओ. ने अपने – अपने प्रदेशों की भाषाओं को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया है। लोग सोचते हैं कि शायद बांग्लादेश के कहने से यह हुआ है, इसलिए बंगल को मातृभाषा मानकर, मातृभाषा दिवस मनाया जाए। यह दुख की बात है कि बहुत से प्रदेशों में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया भी नहीं गया है।

महोदय, मैं डा. कर्ण सिंह जी के इस विधेयक का समर्थन करना चाहूँगी। जम्मू- काश्मीर के लोगों की बहुत दिनों से यह मांग रही है कि डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया जाए। महोदय, भारत की जितनी अधिक भाषाओं को इस प्रकार से समृद्धि दी जाएगी, देश उतना अधिक समृद्ध और धनी होगा अन्यथा कम्प्यूटर के इस युग में न जाने कितनी भाषाएं विलयन का शिकार हो रही हैं। इस पर अगर सरकारी समर्थन और सहयोग नहीं मिले, मान्यता नहीं मिले तो न जाने कितनी भाषाएं सचमुच विलुप्त प्रायः हो जाएगी। महोदय, मैं एक ऐसी भाषा को जिस की अपनी लिपी है और साहित्य अकादमी ने भी जिसे मान्यता दे रखी है, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का समर्थन करती हूँ। महोदय, इस भाषा में लिखे एक उपन्यास “भूले भटके लोग” मुझे पढ़ने का मौका मिला था। उस का अनुवाद पढ़ने के बाद उस प्रदेश के बारे में मुझे जितना अधिक ज्ञान हुआ, मैं सोचती हूँ कि यदि इस भाषा को मान्यता मिल जाती है तो इस की अनेकानेक रचनाएँ अनूदित होकर हमारे सामने आएंगी और हम भारत के लोग ऐसी और अनेक भाषाओं से परिचित होंगे।

महोदय ,मुझ से पहले अभी अहलुवालिया जी ने कहा कि एक कमीशन बनाना चाहिए। कुछ दिन पहले डा. कर्ण सिंह जी यह चाहते थे कि कम- से- कम एक ऐसी स्टेंडिंग कमेटी बने जो भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य के बारे में बातचीत करके उस की समृद्धि और सम्पन्नता के बारे में सोचें। महोदय, अंत में मैं यह कहते हुए कि भाषा की वेदना के इन सुरों में एक सुर मेरा भी मिला लो। इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. रामदेव भंडारी):**माननीय मंत्री जी ।

**श्री बालकवि वैरागी:**उपसभाध्यक्ष जी, साक्षात् ईश्वर बोल रहे हैं, उन्हें तो ईश्वर की भाषा मे बोलना चाहिए।

**गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी):**उपसभाध्यक्ष जी, मेरी यही कमज़ोरी है कि न मैं आप की तरह बोल सकता हूं, न डा. कर्ण सिंह की तरह बोल सकता हूं, न बहन माहेश्वरी जी की तरह जो प्रोज मे पोइट्री बोल सकती हैं, और न सिंघवी साहब की तरह विद्वतापूर्ण ढंग से बोल सकता हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि इस हाउस मे जिसे एल्डर हाउस कहा जाता है, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा विद्वत हाउस और कोई हो नहीं सकता। मेरा सौभाग्य है कि आज डा. कर्ण सिंह जी के इस बिल के सिलसिले मे मेरी यहां उपस्थिति दर्ज हुई और मुझे कविता और ऐसे विद्वत से भरे भाषण सुनने का मौका मिला।

महोदय, हालांकि यह बिल बहुत छोटा सा है और उस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, सरकार की और से भी कोई मतभेद नहीं हो सकता और न राजस्थानी भाषा के लिए मतभेद हो सकता है जोकि डा. सिंघवी जी का बिल है, लेकिन सरकार की एक मुश्किल जरूर है कि न केवल ये दो बिल चार जुबाने जो पहले शामिल हो चुकी हैं और इन भाषाओं की संख्या 14 से 18 हो गयी है, अभी भी 32 जुबानों के बारे मे डिमांड पैंडिंग है। हम समझते थे कि जब रिव्यू कमीशन बैठा है और यह मैटर भी उन को रेफर किया गया था, शायद रिव्यू कमीशन की तरफ से कोई ॲबोकिटव क्राइटरिया , कोई एक्सेप्टेबल क्राइटरिया कि किस क्राइटरिया पर कौन – कौन सी जुबान आटवी शेड्यूल मे आएगी... मेरी जानकारी मे उसके बारे मे कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन सरकार ने अकूबर, 1996 मे एक कमेटी मुकर्रर की थी, जो आफ़ीसर्स की कमेटी थी और उनको कहा गया था कि एटथ शेड्यूल मे शामिल करने के लिए जितनी भी लेंगुएज की डिमांड आ रही है, उनको देखकर कोई क्राइटरिया निश्चित करे। उस कमेटी ने क्राइटरिया तय करने के लिए काम किया। उन्होने हिस्ट्री भी देखी कि किस बेसिस पर कंस्टीचुएट असेम्बली ने संविधान बनाते वक्त किस क्राइटरिया के ऊपर इन 14 लेंगुएज को शामिल किया था। इसके बाद 15वीं लेंगुएज सिंधी कैसे शामिल हुई थी क्योंकि जब यह सिंधी शामिल हुई थी तो वह किसी प्रांत की भी नहीं थी, कोई एकाडमी के तौर पर भी नहीं थी, लेकिन उसको शामिल किया गया और यह शायद 1965 मे शामिल की गई थी। उसके बाद तीन और लेंगुएज इसमे शामिल की गई थी। उस कमेटी ने सारा क्राइटरिया देखा कि उस भाषा को ज्यादा लोग बोलते हों, उस भाषा को एकाडमी रिकोग्नाइज करती हो, वह भाषा स्कूलों और कालेजों मे पढ़ाई जाती हो, सब चीजों को देखते हुए वह कमेटी किसी एक यूनेनिमस कनकल्यूजन पर, किसी एक ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि कौन सा क्राइटरिया वह हमे सुझाए। आखिर उसने रिकमेंडेशन की कि चूंकि इतनी हमारी भाषाएं हैं, मेरी जानकारी मे 114 भाषाएं इस देश मे बोली जाती हैं, और अगर डायलेक्ट की बाते करे तो तीन हजार , चार हजार, कितनी ही कहीं जाती है, लेकिन दो सौ , तीन

सौ से ज्यादा डायलेक्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, डायलेक्ट को भाषा न माना जाए, उसे भाषा के रूप में न माना जाए तब भी 114 भाषाएँ हैं और 32 भाषाओं की डिमांड अब भी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है, इसलिए उस कमेटी ने यह फ़ैसला किया कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए, जिसमें एकाडिमिशियन्स, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, जो अलग-अलग लेंगुएज के हों, उन सबको शामिल करके उनको पूरा अधिकार दिया जाए कि वह जिसको भी शामिल करना चाहै, जिस स्पेशलिस्ट की भी राय लेना चाहै, वहाँ वह साहित्यकार हों या वह कवि हों, सब की सलाह लेकर क्राइटरिया बनाए और उस क्राइटरिया के मुताबिक इन सब भाषाओं की डिमांड पर विचार किया जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय में, आपके माध्यम से इस हाऊस को यकीन दिला सकता हूँ। जब मैं यहाँ सदन में भाषण सुन रहा था, जैसे डा. कर्ण सिंह साहब ने शुरू किया, उसके बाद मूल चन्द मीणा जी, परमार जी बोले और सरला माहेश्वरी जी तो वैसे पाइट्री नहीं बोली, उनका प्रोज था, लेकिन वह पाइट्री थी सारी की सारी और उसके बाद बालकवि बैरागी जी, वह तो पाइट है ही, उसके बाद डा. सिंघवी जी बोले, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह भी एक नजर में नज़म ही बोल रहे थे, वह भी पाइट्री बोल रहे थे प्रोज में। किस किस का नाम लूँ, रशीद साहब ने भी बोला। डोगरी या वह भाषाएँ, जो सरकार के सम्मुख हैं, सबका एग्रीमेंट था, सबके यह स्वर थे कि इन भाषाओं को एटथ शैडयूल में शामिल किया जाए, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। हमारे कंसटीट्यूशन में भी प्रोवीजन है, एटथ शैडयूल में जो भाषाएँ हैं, हिंदी को एनरिच करने के लिए उन्हीं भाषाओं के शब्दों को शामिल किया जाए और उसे ज्यादा अच्छा बनाया जाए, ज्यादा रिच बनाया जाए, तो हिंदी से कोई अपोजीशन है, न हिंदी वाले इसको कहीं अपोज कर रहे हैं। सवाल तो यह कोई क्राइटरिया हमारे पास आज नहीं है जिसके मुताबिक हम यह कह सके कि जितनी डिमांड आई है, उनमें से किस – किस लैंग्वेज को शामिल किया जाए। और भी आ सकती है, अभी 32 पेंडिंग हैं, इसलिए मैं इसबात से सहमत हूँ कि इसको जल्दी किया जाए, लेकिन जो सब – कमेटी की, आफिसर्स कमेटी की रिकमेंडेशन्स आई थी, जिन्होंने यह कहा था कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए, उस आफिसर्स कमेटी की सात – आठ मीटिंग्स हुई थीं और आखिर मेर कई ऐसा कन्कलूजन नहीं ढ़ा कर सके थे कि कौन सा क्राइटरिया हो और वे यह महसूस करते थे कि इसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, इसमें स्पेशलिस्ट को ऐसोसिएट करना होगा, इसमें साहित्यकारों को शामिल करना होगा और उनकी सलाह से कोई ऐसा क्राइटरिया बनाना होगा जिससे हम इस बात का फ़ैसला कर सकें, कि कौन सी लैंग्वेज 8वें शैडयूल में आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। अनेक कविताएँ या किताबें डा. साहब ने लिखी हैं। आज भी 22 लैंग्वेज को तो साहित्य अकादमी ऐक्सेप्ट करती है, आज भी डेवलपमेंट के लिए किसी भी लैंग्वेज की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह की यह यह विडम्बना भी कई दफ़ा सामने आती है। हिमाचल वाले भी इस डोगरी भाषा के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, जम्मू – कश्मीर वाले भी समर्थन कर रहे हैं।

**श्री मूल चन्द मीणा:** तब कोई हाई पावर कमेटी नहीं थी, जब चार भाषाएँ और जुड़ी थीं। इसलिए यह इसको टालने वाली बात है कि हाई पावर कमेटी नहीं बनी। सरकार की ओर से एक बिल आ जाए। सारा हाऊस यूनेनिमसली इसको सपोर्ट कर रहा है तो सरकार को भी मान लेना चाहिए।

**2.00 p.m**

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी:** टालने वाली बात नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें किसी का विरोध नहीं हो सकता, सरकार को भी इससे कोई इखलाफ़ नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि एक फ्रैंसला हुआ है और उस फ्रैंसले के मुताबिक एक हाई पावर कमेटी बनानी है। हम यह कह सकते हैं, कि उसे बहुत जल्दी बनाकर और उसके क्राइटरिया हमारे सामने होना चाहिए। अहलुवालिया जी ने भी इस बारे में जिक्र किया है कि एक हाई पावर कमीशन होना चाहिए, उसके कारण उन्होंने भी बताए। तो मेरा कहना यह है कि जल्दी से जल्दी वह कमीशन या जिसको हाई पावर कमेटी कहते हैं, उसे बनाकर उनको एक अवधि दे दी जाए कि दो महीने में, चार महीने में, छः महीने में जल्दी से जल्दी वे अपनी रिपोर्ट दे दें ताकि उस रिपोर्ट के मुताबिक न केवल डोगरी को, न केवल राजस्थानी को, न केवल उन 32 जबानों को, जिनके बारे में मांगे आई हुई है, बल्कि सबके बारे में वे एक क्राइटरिया दे दें तो सरकार के लिए काम आसान हो जाएगा और उस क्राइटरिया के मुताबिक जो भी लैंग्वेज उस बैंच मार्क के हिसाब से पूरी उत्तरेगी, उन सबके लिए कास्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जा सकता है। सरकार इससे शर्क नहीं करना चाहती सरकार इसको टालना भी नहीं चाहती कि इसको टाला जाए। इसलिए एक हाई पावर कमेटी बनानी है, यह मंशा नहीं है, मंशा सिर्फ़ इतनी है कि कोई आब्जेक्टिव क्राइटरिया, कोई मिनिमम बैंच मार्क हमारे पास अवेलेबल तो हो और वह जो क्राइटरिया होगा, वह स्पेशलिस्ट एक्स्पर्ट्स, साहित्यकार आदि सब लोगों की ऐसोसिएशन से हाई पावर कमेटी निश्चित करेगी। मैं यह बात कह रहा था कि जम्मू-कश्मीर के सब लोग डोगरी बोलते हैं, एक करोड़ लोग हिमाचल और पंजाब को मिलाकर डोगरी बोलते हैं लेकिन यह एक विडम्बना है कि अभी भी जम्मू-कश्मीर सरकार ने सैकिंड लैंग्वेज भी डोगरी नहीं रखी है, फर्स्ट लैंग्वेज तो उर्दू है लेकिन दूसरी लैंग्वेज भी डोगरी नहीं रखी है।

**श्री एस. एस. अहलुवालिया:** यह पोलिटिकल डिसीजन है, जैसे हरियाणा ने पंजाबी न रखकर तेलुगु रखी। तो यह पोलिटिकल डिसीजन है।

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी:** कई दफा यह विडम्बना होती है कि जिस लैंग्वेज की इतनी रिचर्चेस है, जिसको इतने ज्यादा लोग बोलते हैं, जिस लैंग्वेज का इतना बड़ा लिट्रेचर है, उस लैंग्वेज को आफिश्यली जो स्थान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता। कास्टिट्यूशन में स्टेट को कहीं मुमानिअत नहीं है, एक या एक से अधिक लैंग्वेज को स्टेट अपनी आफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, चाहे वह लैंग्वेज 8 वें शैँड्यूल में न भी हो।

मैं समझता हूं कि इस डोगरी भाषा को 8वें शैँड्यूल में शामिल करने की जो मांग आई है, वह जायज मांग है और मैं भी खुद इस बात का अहसास करता हूं कि किसी भी तरफ़ से इसमें विरोध का या किसी और तरह का स्वर नहीं निकला, सबने इसे सपोर्ट किया है। मैं भी यह चाहता हूं कि इसका कोई क्राइटरिया जल्दी बने, इस पर जल्दी फैसला हो। इसलिए इन चीजों के मद्देनजर मैं डा. कर्ण सिंह से यह दरखास्त करूंगा कि वे अपना बिल वापस ले लें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं पर्सनल लेवल पर यह देखूंगा कि जल्दी से जल्दी यह हाई – पावर कमेटी बन जाए और वह जल्दी से एक आब्जेक्टिव क्राइटरिया निश्चित कर दे ताकि जितनी डिमांडज सरकार के पास पैंडिंग है, उन सबका फैसला कर दिया जाए।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. रामदेव भंडारी):** धन्यवाद मंत्री जी। सिंघवी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं।

**डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:** मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने जो बात कही है, वह कुछ सदाशयता का परिचय देती है लेकिन डा. जानसन ने कहा था कि - "Committee consists of individuals who can do nothing individually, and decide collectively that nothing can be done." ऐसी कमेटी नहीं चाहिए। कमेटी अगर बननी है तो आप कहिए कि आप 10-15 दिनों में कमेटी को नोटिफाई करेंगे और 2 महीने के अंदर वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। अगर कमेटी टाइम-बाउंड नहीं होगी तो उस कमेटी का कुछ फ़ायदा नहीं है।

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी:** मैंने पहले ही कहा था कि उसमें विलंब न हो, इसके लिए जल्दी से जल्दी हम कमेटी बनाएंगे और इसकी अवधि मुकर्टट करेंगे ताकि 2 महीने, 4 महीने में वह अपनी रिपोर्ट दे दे ताकि एक क्राइटरिया तो हमारे सामने उपलब्ध हो जिसके आधार पर हम यह काम कर सकें।

**डा. कर्ण सिंह:** उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सारी बहस से मुझे बड़ा संतोष हुआ है और मैं सदस्यों का कृतज्ञ हूँ कि इस सदन के हर सदस्य ने और इस सदन के हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने इस बिल का बड़े विशाल हृदय से समर्थन किया और उन्होंने स्वीकार किया कि डोगरा कम्युनिटी को और डांगरी भाषा को अपना स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। यहां बहुत अच्छी- अच्छी बातें हुईं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मंत्री जी के उत्तर से मैं बहुत निराश हूँ। मैं भी काफ़ी उम्र तक सरकार में रहा हूँ। मैंने बहुत सी कमेटियां देखी हैं। जैसा कि डा. सिंघवी ने कहा कि अगर कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को संविधान में डाला था तो क्या आपने कमेटी बनाई थी? हमारी डोगरी भाषा के समय ही आपको कमेटी बनाने की याद आ रही है? मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जब डोगरा फ़ौज सरहद पर खड़ी होकर गोलियों का सामना कर रही है तो क्या वह आपकी कमेटी से पूछेगी कि मुझे इस गोली का सामना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?

महोदय, जम्मू - कश्मीर की राजनीति बड़ी अदभुत है। मैं उसके विस्तार में न जाऊं तो अच्छा है लेकिन जिस तरीके से मंत्री जी ने सारी चीज को डाइल्यूट करने का प्रयत्न किया और कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, उसमें विशेषज्ञ बिठाएंगे और तब निर्णय करेंगे, यह ठीक नहीं है। इस कमेटीबाजी से कुछ नहीं होगा। यह बड़ी सीधी बात है। डोगरी भाषा का जम्मू- कश्मीर के संविधान में अपना एक स्थान है। राष्ट्र के संविधान में भी इसका स्थान होना चाहिए। इसे राष्ट्रीय संविधान में स्थान न देना, डोगरीभाषी देशभक्त लोगों के प्रति घोर अन्याय और अपमान है।

इसलिए मैं मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने जवाब दिया कि हम कमेटी बिठाएंगे और वह निर्णय देगी, इससे बात सुलझेगी नहीं। ये कभी दो हजार भाषाओं की बात कर रहे हैं, कभी दो सौ भाषाओं की बात कर रहे हैं, कभी पचास भाषाओं की बात कर रहे हैं। यह तो टालने वाली बात है। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। डोगरी लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी से मिला था और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम जल्दी इस काम को करेंगे।

महोदय, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री जी से इस बारे में बात करें। वे जानते हैं कि इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, इसके पीछे क्या राजनीति है। अगर आपने इस काम को नहीं किया तो लोगों के हृदय में पीड़ा होगी। पहले ही सरहदों के लोग बहुत पीड़ा सहन कर रहे हैं, कश्मीरी भाई तबाह हो रहे हैं, लद्दाकी लोग तबाह हो रहे हैं, डोगरा लोग तबाह हो रहे हैं। आप इस पीड़ा को क्यों बढ़ाते हैं? आपने जो यह कमेटी वाली बात कही है, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मेरे परम मित्र डा. सिंघवी भी स्वयं बहुत सी कमेटियों में बैठे थे, वे जानते हैं कि जब कमेटियों में बहस शुरू होती है तो कोई कहता है कि 50 करो, कोई कहता है 10 करो। आपने तीन भाषाएं अभी दो साल पहले बढ़ाई थी। उसमें आपने कोई कमेटी बनाई नहीं बनाई। मुझे लगता है कि डोगरी के विषय में आपको कमेटी बनाने में नहीं पड़ना चाहिए। आपको हमें यह आश्वासन देना चाहिए कि आप इस मसले को जल्द से जल्द सरकार के सामने, यूनियन केबिनेट के सामने रखेंगे और उनसे यह निर्देश दिलाएंगे ताकि इसी वर्ष के अन्त तक यह फ़ैसला यहां आ जाए। अगर यह बात हो जाती है तो मैं अपना बिल विद्धा करने के लिए तैयार हूं इस आशा से कि हम इसी वर्ष जो यह बहुत दिनों से अन्यायपूर्ण परिस्थिति चल रही है, उसको न्याय दिया जाएगा। धन्यवाद।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) उपसभाध्यक्ष जी, डा. साहब ने जो कहा मैंने पहले ही खुद कहा था कि इसको टालने की बात नहीं है क्योंकि सरकार ने एक फ़ैसला किया हुआ है। जहां तक यह तीन भाषाएं शामिल करने की बात थी वह भाषा 1992 में शामिल की गई थी। हमारी सरकार ने की थी और 1965 में सिंधी शामिल हुई थी। 1992 में यह तीन भाषाएं शामिल की गई। उसके बाद अभी तक कोई भाषा शामिल नहीं हुई। इसलिए 1996 में जो सब- कमेटी बनी थी.....  
(व्यावधान)

**डा. कर्ण सिंह:** हमारी सरकार आएगी तब तक आपरूप रहे हैं ?

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी:** वह 1992 से 1996 तक कुछ नहीं हुआ। 1996 के बाद 1997 में जो कमेटी बैठी उससे रिकमंडेशन ली गई। यह जो आप विश्वास चाहते हैं मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं उपासभाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, सारे हाऊस को विश्वास दिला सकता हूं कि इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा चाहे कमेटी बनाए, हाई पावर कमेटी बनाकर जल्द से जल्द फ़ैसला करें, चाहै ऊपर के स्तर पर फ़ैसला करें या जिस तरह भी करें इन दोनों भाषाओं के लिए ही नहीं बल्कि और भी जो मांगे हमारी सरकार के सामने हैं उन सबके बारे में कोई न कोई फ़ैसला जल्दी कर दिया जाएगा। यह विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं।

**डा. कर्ण सिंह:** उपसभाध्यक्ष जी, जब यह विश्वास दिला रहे हैं तो फ़िर मैं अपना बिल विद्धा करता हूं। देखता हूं कि कहां तक वह अपने वचन पर कटिबद्ध निकलते हैं।

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. RAM DEO BHANDARY):** Does he have the leave of the House to withdraw the Bill?

*The Bill was, by leave, withdrawn.*

**श्री बालकवि बैरागी:** बड़े उदास मन से वापिस लिया है।